अध्याय — 5

संविदा के अऋजु निबंधन — एक तुलनात्मक अध्ययन

संपूर्ण विश्व में सौदेबाजी की शक्ति की असमानता से उद्भूत अऋजुता विषयक विधि एक पृथक् आधार के रूप में विकसित हुई है जिस पर संविदाओं को अपास्त किया जा सकता है । क्लासिकल विधिक सिद्धांत मानक प्ररूप संविदाओं को व्यक्तिगत रूप से बातचीत की संविदाओं से किसी प्रकार से भिन्न नहीं पाते और उन्हें उनके निबंधनों के अनुसार प्रवृत्त करते हैं चाहे उनके निबंधन कितने ही कठोर या अनुचित हों । क्लासिकल सिद्धांत के अधीन, न्यायालयों ने एक निश्चायक उपधारणा सृजित की कि हस्ताक्षरकर्ता पक्षकार को निबंधन पढ़कर हस्ताक्षर करना चाहिए । यह परिणाम "पढ़ने के कर्तव्य" सिद्धांत पर आधारित था जिसका विकास व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर किए गए संविदाओं के प्रतिमान से हुआ । तथापि, विधि वेत्ताओं ओर न्यायालयों ने मानक प्ररूप संविदाओं और व्यक्तिगत रूप से बातचीत की संविदाओं के क्लासिकल मोडल के बीच मूलभूत अन्तर को मान्यता प्रदान की । प्रोफेसर काल लेविलयन बुक रिव्यू, 52 हार्वर्ड ला रिव्यू 700, 704 (1939) ने मानक प्ररूप संविदाओं का निर्वचन करते हुए कमजोर पक्षकार की युक्तियुक्त प्रत्याशाओं के संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया :

> " स्वतंत्र संविदा की यह पूर्वकल्पना है कि सौदेबाजी स्वतंत्र रूप से हो ; और स्वतंत्र सोदेबाजी की यह पूर्वकल्पना है कि सौदा निष्पक्ष हो, ; और यह कि जहां वस्तुतः सौदेबाजी नहीं हुई है वहां सौदे की शर्तें और खंड

ऐसी नहीं है जो अपठित कागज पर मुदित होते हैं लेकिन ऐसी हैं जो एक संतुलित व्यक्ति उस कागज पर होने की युक्तियुक्ततः प्रत्याशा कर सकता है ।"

यू. एस. ए. में स्थिति : अमेरिकन रिस्टेटमेन्ट (दूसरा संस्करण) और यू. सी. जी. : लोकात्माविरुद्धता ।

संविदाओं में लोकात्माविरुद्धता की धारणा यू. एस. ए. में कोई नयी बात नहीं है । अध्याय 3 में जैसा कहा गया है; इसे नई दिशा मिली चूंकि यूनीफार्म कामर्शियल कोड, 1977 (जिसे इसके पश्चात् यू.सी. सी. कहा गया है) में प्रवर्तनीयता की कसौटी के रूप में इसे समाविष्ट किया गया था । लोकात्माविरुद्धता के सामान्य सिद्धांत का विकास उस देश में अधिकांशतः न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से हुआ । हमने पहले ही इन्लैण्ड वाटर वाले ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 151 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथनिर्दिष्ट रिस्टेटमेन्ट ऑफ ला (दूसरा संस्करण) की धारा 208 के कथन का अमेरिकन विधि के अधीन स्थिति को निर्दिष्ट किया है । इसमें यह कथन है :

> " यदि कोई संविदा या उसका कोई निबंधन संविदा के समय लोकात्माविरुद्ध है तो न्यायालय संविदा को प्रवृत्त करने से इनकार कर सकता है या लोकात्माविरुद्ध निबंधन के बिना संविदा के शेष भाग को प्रवृत्त कर सकता है या लोकात्माविरुद्ध निबंधन को लागू किए जाने के लिए इस प्रकार सीमित कर सकता है जिससे कि किसी लोकित्माविरुद्ध परिणाम को टाला जा सके ।"

लोकात्माविरुद्धता के सिद्धांत को यू. सी. सी. में भी शामिल किया गया है यद्यपि यह केवल माल विक्रय विषयक संविदाओं को ही लागू था । इसे सादृश्य द्वारा या अन्य प्रकार की संविदा को साधारण सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है । यू. सी. सी. की धारा 2-302 में यह उबपंध है : –

> " यदि न्यायालय विधितः किसी संविदा या संविदा के किसी खंड को उस समय जब वह किया गया,लोकात्माविरुद्ध पाता है तो न्यायालय संविदा को प्रवृत्त करने से इनकार कर सकता है, या लोकात्माविरुद्ध निबंधन के बिना संविदा के शेष भाग को प्रवृत्त कर सकता है या किसी लोकात्माविरुद्ध निबंधन के लागू किए जाने को इस प्रकार सीमित कर सकता है जिससे कि किसी लोकात्माविरुद्ध परिणम को टाला जा सके । "

सुसंगत सीमा तक नीचे उद्धृत इस धारा की टिप्पणी इस धारा के प्रयोजन के लिए इस प्रकार है :-

> "इस धारा का आशय न्यायालय को ऐसी संविदाओं या खंडों के विरुद्ध अभिव्यक्ततः नियंत्रित करने की शक्ति देना है जिसे वे लोकात्माविरुद्ध पाते हैं । पहले ऐसे नियंत्रण की शक्ति को भाषा के प्रतिकूल अर्थान्वयन द्वारा, प्रस्थापना और स्वीकृति के नियमों के छलयोजना द्वारा या इस अवधारणा द्वारा कि संविदा लोकनीति या संविदा के प्रमुख प्रयोजन के विरुद्ध है......। "

चूंकि उपरोक्त निर्दिष्ट धारा 2-302 न्यायालय को शक्ति देती है कि लोकात्माविरुद्धता न्यायालय द्वारा विधितः अवधारित की जाए । इस उपबंध के अधीन जब यह दावा किया जाता है या न्यायालय को लगता है कि संविदा या उसका कोई भाग लोकात्माविरुद्ध हो सकता है तो यह अवधारित करने में न्यायालय की सहायता के लिए पक्षकारों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि वे इसके वाणिज्यिक सेटिंग, प्रयोजन और प्रभाव के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें । न्यायालयों द्वारा मंजूर अनुतोष लोकात्माविरुद्ध संपूर्ण संविदा या किसी विशिष्ट खंड को प्रवृत्त करने की इनकारी हो सकती है ।

धारा 2-302 की टिप्पणी में आगे इस प्रकार कथन है :

> " कोई भी सौदा केवल इस कारण से लोकात्माविरुद्ध नहीं है क्योंकि उसके पक्षकार सौदा करने की स्थिति में असमान हैं और न ही इस कारण से लोकात्माविरुद्ध है कि असमानता का परिणाम कमजोर पक्षकार की जोखिमों के आबंटन में है । किन्तु सुदृढ़ पक्षकार के पक्ष में अयुक्तियुक्त निबंधनों के साथ सौदा करने की शक्ति की पूर्ण असमानता इन संकेतों की पुष्टि कर सकती है कि संव्यवहार में धोखे या विबाध्यता के तत्व अन्तर्वलित हैं अथवा यह दर्शा सकते हैं कि कमजोर पक्षकार का कोई अर्थपूर्ण विकल्प नहीं था, न ही कोई वास्तविक अनुकल्प था या वस्तुतः अऋजु निबंधनों पर अनुमति दी थी या अनुमति देना प्रतीत हुआ था । "

इस प्रकार, यद्यपि सौदेबाजी करने की शक्ति की असमानता पर्याप्त नहीं है और न्यायालय यह मानते हैं कि पक्षकारों को प्रायः संविदाएं शीघ्र ही करनी अपेक्षित होती हैं चाहे उनकी सौदेबाजी करने की शक्ति बिरले ही समान हो फिर भी न्यायालय को उपबंधों के अधीन आने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है । यह बिलकुल स्पष्ट है कि यू. एस. में, सौदेबाजी की शक्ति की असमानता द्वारा प्रभावित पक्षकारों की लोकात्माविरुद्ध संविदाओं और हित पर कानूनी वर्जन है । यू. सी. सी. लोकात्माविरुद्धता को परिभाषित नहीं करता लेकिन टिप्पणी में मूल परख उपदर्शित करता है कि क्या सामान्य वाणिज्यिक पृष्ठभूमि और विशिष्ट व्यापार या मामले की वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आलोक में अंतर्वलित खंड ऐसे एकपक्षीय हैं मानो यह संविदा करने के समय विद्यमान परिस्थितियों में लोकात्माविरुद्ध हों । सिद्धांत एक प्रकार का उत्पीड़न और अऋजु कल्पना है (कैम्पबेल सोप बनाम वेन्टज) (इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट) और वरिष्ठ सौदेबाजी की शक्ति के कारण जोखिमों के आबंटन में कोई अस्तव्यस्तता नहीं, प्रोफेसर एम. ए. आइसेनवर्गस "दि बार्गेन प्रिंसिपिल एंड इट्स लिमिट्स" (1982) 95 हार्वर्ड ला रिपोर्ट पृष्ठ 741.

वेन्टज वाला मामला

कैम्पबेल सोप कं. बनाम वेन्टज, 172 एफ 2 डी 80, 3 डी सर (1948) (फैन्सवर्थ – कान्ट्रैक्ट पृष्ठ 419 पर यथाउद्धृत) वाले मामले को यू. सी. सी. 2-302 के टिप्पण 1 में उद्धृत किया गया है । मामला मानक प्ररूप गाजर उत्पादक संविदा के संबंध में है । प्रतिवादी ने गाजर की अपनी सारी फसल 30 डालर टन से अधिक कीमत पर कैम्पबेल को दे दी । परिदान के समय, बाजार में माल की कमी हो गई और ऐसा माल वस्तुतः

अप्राप्य हो गया और उनकी कीमत भी कम से कम 90 डालर टन तक बढ़ गई। कैम्पवेल के आपूर्तिकर्त्ताओं ने अपनी फसलों को अन्य लोगों को भी बेचना शुरु कर दिया और कैम्पवेल ने प्रतिवादी द्वारा कहीं किसी और को आगे बेचने से रोकने और विनिर्दिष्ट पालन की कार्रवाई के लिए मामला फाइल किया। कोर्ट ऑफ अपील ने संविदा के कई उपबंधों को आक्षेपणीय पाया और साम्यापूर्ण अनुतोष देने से इनकार किया। उसने कहा कि संविदा प्रकटतः "दक्ष प्रारुपकार द्वारा क्रेता के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी" और यह कि यह वादी को अन्तरात्मा से न्यायालय में अनुतोष पाने के लिए हकदार बनाने का एक कठोर सौदा था।

प्रक्रियागत और सारभूत लोकात्माविरुद्धता के नए सिद्धांत (यू. एस. ए.)

यू. सी. सी. में किसी परिभाषा के अभाव में विलियम्स बनाम वाकर थामस फर्नीचर कं. (350 एफ 2 डी. 445 सी.डी.सी. सर 965) वाले मामले में कथित "लोकात्माविरुद्धता" की परिभाषा को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। उस मामले में यह परिभाषित है : "लोकात्माविरुद्धता" में ऐसे संविदा निबंधन, जो अन्य पक्षकार के लिए अयुक्तियुक्ततः पक्षपातपूर्ण हैं, के साथ दूसरे पक्षकार के भाग पर " सार्थक विकल्प" का अभाव शामिल है। क्या सार्थक विकल्प किसी विशिष्ट मामले में है या नहीं, का अवधारण संव्यवहार की सभी परिवर्ती परिस्थितियों पर विचार द्वारा ही किया जा सकता है। कई मामलों में, सार्थक विकल्प का सौदेबाजी की शक्ति की घोर असमानता द्वारा अस्वीकार किया गया है। संविदा या संविदा के किसी खंड को तभी लोकात्माविरुद्ध कहा जाएगा यदि यह उपरोक्त परिभाषा में क्रमशः "सार्थक विकल्प के अभाव" और "अयुक्तियुक्त पक्षपातपूर्ण निबंधन" शब्दों द्वारा उपदर्शित प्रक्रियात्मक और सारभूत लोकात्मा विरुद्धता की

कसौटी का समाधान करता है और एक की जहां अधिकांशता है वहीं अन्य की अल्पता अपेक्षित है । प्रक्रियात्मक लोकात्माविरुद्धता तब पैदा होती है जब संविदा करने की प्रक्रिया में उत्पीड़न या दोष का तत्व हो और इसमें बारीक प्रिन्ट या तकनीकी भाषा का उपयोग, जानकारी या समझबूझ की कमी या सौदेबाजी की शक्ति की असमानता शामिल होगा । दूसरी ओर, "सारभूत लोकात्माविरुद्धता" संविदा और इसके निबंधनों के वास्तविक सार को प्रभावित करता है और इसमें व्यापक अपवर्जक खंडों या अत्यधिक कीमतें, आदि शामिल होंगी।

हमने अध्याय 1 में इस द्विभागीकरण को निर्दिष्ट किया है । हम इन अवधारणओं को बाद वाले अध्यायों में भी निर्दिष्ट करेंगे ।

आस्ट्रेलिया

न्यू साउथ वेल्स में सामान्यतः अऋजु या अनुचित उपभोकता संविदाओं के संबंध में एक विधान है ।

संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम, 1980 (द कॉन्ट्रेक्ट रिव्यु ऐक्ट, 1980) (न्यू साउथ वेल्स)

संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम, 1980 (सी आर ए) व्यक्तियों का अन्यायसंगत संविदाओं या उपबंधों का प्रयोग करने पर संरक्षा प्रदान करता है । धारा 6(2) में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन अनुतोष उस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा जब संविदाएं ऐसा कोई व्यापार, कारबार या वृत्ति किए जाने के दौरान या के प्रयोजन से की

जाएं जो व्यक्ति द्वारा न्यु साउथ वेल्स में किए जाने वाले कृषि कार्य से अन्यथा किया गया या किया जाना प्रस्तावित है । धारा 7 के अधीन न्यायालय को किसी अन्यायसंगत संविदा या संविदाजात उपबंधों के होने की स्थिति में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं । संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम में यह उपबंधित है कि यदि न्यायालय की राय में संविदा या संविदा का कोई उपबंध संविदा से संबंधित उस समय की परिस्थितियों में जब यह की गई "अन्यायसंगत" था तो वह उपभोक्ता संविदा के संबंध में अनुतोष प्रदान कर सकता है । न्यायालय संविदा के किसी एक या सभी उपबंधों को प्रवृत्त करने से मना कर सकता है और संविदा को, संपूर्णत: या भागत:, शून्य घोषित कर सकता है; लिखत के उपबंधों में फेरफार करने या समाप्त करने या इसके प्रचालन या प्रभावों को अन्यथा प्रभावित करने का आदेश कर सकता है । संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम यूनीफोर्म कन्ज्युमर क्रेडिट कोड (यू सी सी सी) के साथ-साथ प्रचालन में है । [अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ए डिस्कशन पेपर, जनवरी, 2004 (क्वीन्सलैण्ड एण्ड विक्टोरिया) दृष्टव्य है] ।

संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम में यथापरिभाषित "अन्यायसंगत" से लोकात्माविरुद्ध, कठोर और अन्यायपूर्ण अभिप्रेत है ।

संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम की धारा 9(1) में उन बातों का वर्णन है जिन पर न्यायालय इस बाबत अवधारण करने के लिए कि क्या संविदा या इसका कोई निबंधन अन्यायसंगत है लोकहित और

(क) संविदा के किसी एक या सभी उपबंधों के अनुपालन, या

(ख) संविदा के किसी एक या सभी उपबंधों के अननुपालन या उल्लंघन

के कारण उद्भूत होने वाले परिणामों के साथ-साथ मामले की समस्त परिस्थितियों

पर विचार करेगा ।

धारा 9(2) के अधीन जहाँ भी सुसंगत हो, न्यायालय न केवल प्रक्रिया संबंधी विवाद्यकों यथा सौदाकारी शक्ति की तात्विक असमानता, संगत आर्थिक परिस्थितियों, शैक्षिक पृष्ठभूमि, पक्षकारों की साक्षरता, किसी प्रकार के अनुचित दबाव, विधिक या विशेषज्ञ सलाह की ईप्सा की गई या नहीं को ही ध्यान में नहीं रखेगा अपितु इन सारभूत विवाद्यकों

(घ) क्या संविदा का कोई उपबंध ऐसी शर्तें अधिरोपित करता है जिनका अनुपालन किया जाना अयुक्तियुक्त रूप से मुश्किल है या जो संविदा के किसी पक्षकार के विधिसम्मत हितों की संरक्षा के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक नहीं हैं; और

....

....

(छ) क्या संविदा संपूर्णत: या भागत: लिखित में है और क्या संविदा का भौतिक रूप और भाषा जिसमें इसे अभिव्यक्त किया गया है बोधगम्य है ।

धारा 9 जिसका शीर्षक "न्यायालय द्वारा विचार में लायी जाने वाली बातें" हैं इस प्रकार है :

"9 .न्यायालय द्वारा विचार में लायी जाने वाली बातें

(1) इस बाबत अवधारण करने के लिए कि क्या कोई संविदा या उसका कोई उपबंध संविदा से संबंधित उस समय की परिस्थितियों में जब यह की गई अन्यायसंगत है, न्यायालय लोकहित और निम्न स्थिति में उद्भूत होने वाले परिणामों जो ;

(क) संविदा के किसी या समस्त उपबंधों के अनुपालन, या

(ख) संविदा के किसी या समस्त उपबंधों के अननुपालन या उल्लंघन के कारण उद्भूत हों

के साथ-साथ मामले की समस्त परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगा ।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता को किसी प्रकार से प्रभावित किए बिना, न्यायालय निम्न

(क) संविदा के पक्षकारों के मध्य की सौदाकारी शक्ति में किसी प्रकार की तात्विक असमानता है या नहीं,

(ख) क्या संविदा के पूर्व या जिस समय संविदा की गई इसके उपबंधों के संबंध में बातचीत की गई थी,

(ग) क्या इस अधिनियम के अधीन अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार के लिए संविदा के किसी उपबंध में फेरबदल करने या उसे नामंजूर करने के लिए बातचीत करना युक्तियुक्त रूप से साध्य था,

(घ) क्या संविदा का कोई उपबंध ऐसी शर्तें अधिरोपित करता है जिनका अनुपालन करना युक्तियुक्त रूप से मुश्किल है या संविदा के किसी पक्षकार के विधिसम्मत हितों की संरक्षा के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है,

(ङ) क्या

(i) संविदा का कोई पक्षकार (निगम से अन्यथा) अपने हितों की संरक्षा करने में युक्तियुक्त रूप से समर्थ नहीं था, या

(ii) कोई व्यक्ति जिसने संविदा के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किया उस पक्षकार के हितों की अपनी आयु या अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति या क्षमता के कारण संरक्षा करने में युक्तियुक्त रूप से असमर्थ रहा,

(च) संगत आर्थिक परिस्थितियां, शैक्षिक पृष्ठभूमि और साक्षरता :

(i) संविदा के पक्षकारों (किसी निगम से अन्यथा) की, और

(ii) संविदा के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति की

(छ) जहां संविदा संपूर्णतः या भागतः लिखित में है, संविदा का भौतिक रूप और उस भाषा जिसमें इसे अभिव्यक्त किया गया की बोधगम्यता,

(ज) क्या इस अधिनियम के अधीन अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार द्वारा स्वतंत्र रूप से विधिक या अन्य विशेषज्ञ सलाह प्राप्त की गई थी या नहीं,

(झ) इस अधिनियम के अधीन अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार को किसी व्यक्ति द्वारा संविदा के उपबंधों के विधिक और व्यावहारिक प्रभावों को किस सीमा तक ठीक से स्पष्ट कर दिया गया था और क्या उस पक्षकार ने उक्त उपबंधों और उनके प्रभाव को समझ लिया था,

(ञ) क्या इस अधिनियम के अधीन अनुतोष की ईप्सा करने वाले पक्षकार पर अनुचित प्रभाव, अनुचित दबाव डाला गया या युक्ति (दावपेच) का प्रयोग

(i) संविदा के किसी अन्य पक्षकार द्वारा

(ii) संविदा के किसी अन्य पक्षकार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले या उपस्थित होने वाले या तात्पर्यित रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में (संविदा किए जाने के समय) संविदा के किसी अन्य पक्षकार को या संविदा के किसी अन्य पक्षकार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाले या उपस्थित होने वाले या उसकी ओर से तात्पर्यित रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानकारी थी,

द्वारा किया गया था ।

(ट) व्यौहार किए जाने के अनुक्रम जिनमें उनमें से किसी पक्षकार ने भाग लिया,

और

(ठ) वाणिज्यिक या अन्य परिवेश, संविदा का प्रयोजन और प्रभाव ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को संविदा के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाला तभी समझा जाएगा जब उस व्यक्ति ने उस पक्षकार का, संविदा किए जाने से पूर्व या संविदा किए जाने के समय बातचीत में महत्वपूर्ण रूप में, प्रतिनिधित्व किया हो या उसकी सहायता की हो ।

(4) इस बाबत अवधारित करने के लिए कि क्या संविदा या उसका कोई उपबंध अन्यायसंगत है, न्यायालय उन परिस्थितियों से जिनका संविदा किए जाने के समय युक्तियुक्त रूप से पूर्वानुमान नहीं हो सका उद्भूत होने वाले किसी प्रकार के अन्याय पर ध्यान नहीं देगा ।

(5) यह अवधारित करने के लिए कि क्या किसी संविदा या उसके किसी उपबंध के संबंध में जो अन्यायसंगत पाया गया अनुतोष मंजूर करना न्यायानुमत है, न्यायालय संविदा के पालन के संबंध में संविदा किए जाने के समय कार्यवाहियों के पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखेगा ।

धारा 7 जिसमें 'अन्यायसंगत संविदाओं से संबंधित प्रमुख अनुतोष' की चर्चा है इस प्रकार है :

"प्रमुख अनुतोष

(1) जब न्यायालय को यह पता चले कि संविदा या उसका कोई उपबंध उस समय की परिस्थितियों में जब संविदा की गई अन्यायसंगत है, तो न्यायालय, यदि ऐसा करना न्यायोचित समझे, और अन्यायसंगत परिणाम से यथासाध्य रूप में बचने के प्रयोजन से, निम्न में से किसी एक या अधिक को अपना सकता है :

(क) वह संविदा के किसी या सभी उपबंधों को लागू करने से इनकार करने का विनिश्चय कर सकता है,

(ख) वह संविदा को संपूर्णत: या भागत: शून्य घोषित करने वाला आदेश कर सकता है,

(ग) वह संविदा के किसी उपबंध में, संपूर्णत: या भागत:, फेरफार करने का आदेश कर सकता है,

(घ) वह, भूमि लिखत के संबंध में लिखत के निष्पादन की अपेक्षा के लिए या उसके संबंध में ऐसा आदेश कर सकता है जो

(i) उस भूमि लिखत में फेरफार करे या फेरफार करने का प्रभाव रखे, या

(ii) उस भूमि लिखत के प्रचालन या प्रभाव को समाप्त करे या अन्यथा प्रभावित करे जिसका प्रभाव उक्त को समाप्त करने वाला हो या अन्यथा प्रभावित करने वाला हो ।

(2) जब न्यायालय उपधारा (1)(ख) या (ग) के अधीन आदेश करे, तो घोषणा या फेरफार उस समय से प्रभावी होंगे जब संविदा की गई या (संविदा के संपूर्ण या किसी भाग या भागों की बाबत) आदेश में यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य समय से ।

(3) इस धारा का प्रचालन धारा 19 के उपबंधों के अध्यधीन है ।"

धारा 8 में आनुषंगिक अनुतोष जो न्यायालय मंजूर कर सकता है के प्रति निर्देश है । उक्त धारा इस प्रकार है :

"आनुषंगिक अनुतोष

अनुसूची 1 में उस आनुषंगिक अनुतोष को प्रभावी बनाने का उल्लेख है जो न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन अनुतोष के आवेदन पर मंजूर किया जा सकता है ।"

संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम (न्यु साउथ वेल्स) "मानक" निबंधनों तक ही सीमित नहीं है यद्यपि किसी निबंधन की बाबत बातचीत हुई या नहीं इस पर न्यायालय को विचार करना होता है । धारा 9(2)(घ) और (छ) में विशेष रूप से सारभूत विवाद्यकों का वर्णन है । इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति को अधिकारों से न तो वंचित किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी प्रकार से निर्बंधित किया जा सकता है ।

इस अधिनियम में अलग-अलग मामले के आधार पर वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा अनुतोष मांगे जाने के तंत्र के लिए भी उपबंध है । नियमित अनुतोष मंजूर किए जाने की बात का धारा 10 में इस प्रकार वर्णन है :

> "जब सुप्रीम कोर्ट का, मंत्री या अटर्नी जनरल, या दोनों के आवेदन पर इस बाबत समाधान हो जाए कि व्यक्ति ने ऐसा आचरण किया है या किए जाने की अधिसंभावना है जिसके परिणामस्वरूप अन्यायसंगत संविदाएं होंगी, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे निबंधन विहित कर सकता है या उन्हें निर्बंधित कर सकता है जिनके आधार पर वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट वर्ग की संविदाएं कर सके ।"

यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय को अधिनियम के अधीन संविदाओं पर विचार करने की अधिकारिता प्रदान करता है [स्थानीय न्यायालय और उपभोक्ता, व्यापारी और किराएदारी (कन्ज्युमर, ट्रेडर एण्ड टेनेन्सी ट्रिब्युनल) अधिकरण की अधिकारिता अति सीमित है] । जिला न्यायालय की अधिकारिता इसकी धनीय अधिकारिता संबंधी परिसीमा पर आधारित है । साधारणतः, संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम के उपबंधों का प्रयोग विनिर्दिष्टतः प्रारंभ की गई कार्रवाइयों में या संविदा से उद्‌भूत, या उनके संबंध में, अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के रूप में किया जा सकता है ।

यह प्रकट है कि न्यु साउथ वेल्स न्यायालय ने अधिनियम को 'क्रांतिकारी विधान'

बताया जिसका प्रकट प्रयोजन 'अन्यायसंगत' संविदाओं पर विचार करने के लिए व्यापक सिद्धांत संबंधी ढाँचे का उपबंध करके कॉमन विधि की असफलता को दूर करना है [वैस्ट बनाम ए जी सी (एडवांसेज) : (1986) (5) एन एस डब्ल्यु सी आर 610 वाला मामला दृष्टव्य है] । अधिनियम की प्रक्रिया संबंधी और सारभूत लोकात्माविरुद्धता के मध्य प्रभेद न कर पाने के लिए आलोचना की गई क्योंकि न्यायालय को तथ्य की सूची या इस बाबत अवधारण करना होता है कि क्या संविदा अन्यायसंगत है या प्रक्रिया उन्मुख और परिणाम उन्मुख विचारणाओं का घालमेल है । [डुग्गन (1991) 17 मॉन एल आर : सम रिफलेक्शन्स ऑन कॉमन प्रोविज़न एण्ड द लॉ रिफोर्म प्रोसेस] ।"

<u>ट्रेड प्रैक्टिसेज़ ऐक्ट, 1974 (ऑस्ट्रेलिया)</u>

फेडरल स्तर पर, ट्रेड प्रैक्टिसेज़ ऐक्ट, 1974 में उपभोक्ता संविदाओं में विक्रय, विनिमय, पट्टा, भाड़ा या किराया-खरीद संबंधी अनेक उपबंध विवक्षित हैं । कोई भी निबंधन जो इन उपबंधों को अपवर्जित करेगा शून्य माना जाएगा ।

ट्रेड प्रैक्टिसेज़ ऐक्ट, 1974 (व्यापार पद्धति अधिनियम) की धारा 51 ए बी अपने राज्य और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में ऋजु व्यापार विधान के लघु उपबंधों सहित ऐसे आचरण का प्रतिषेध करती है जो, सभी परिस्थितियों में, कतिपय परिभाषित स्थितियों के संबंध में, लोकात्माविरुद्ध है । इस बाबत विनिश्चय करने के लिए कि क्या किसी विशिष्ट मामले में आचरण लोकात्माविरुद्ध है, न्यायालय इन बातों को ध्यान में रख सकता है :

- पक्षकारों की आपेक्षिक सौदाकारी सुदृढ़ता;
- क्या अनुचित प्रभाव या दबाव डाला गया या अनुचित दावपेचों का प्रयोग किया गया;
- क्या उपभोक्ता से उन शर्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई थी जो प्रदायकर्ता के विधिसम्मत हितों की संरक्षा के लिए युक्तियुक्त रूप से

आवश्यक नहीं थीं; और

- वह रकम जिससे, और परिस्थितियां जिनके अधीन उपभोक्ता किसी अन्य पक्षकार से समतुल्य माल या सेवाएं अर्जित कर सकता था

लोकात्माविरुद्ध आचरण के होने पर न्यायालय व्यादेश मंजूर कर सकता है या वह ऐसे कतिपय अन्य आदेश कर सकता है जो वह समझता है कि वे पक्षकार को हानि या नुकसान के लिए, संपूर्णत: या भागत:, प्रतिकारित करेंगे या किसी प्रकार की हानि या नुकसान को रोकेंगे या कम करेंगे ।

यूनीफोर्म कन्ज्युमर क्रेडिट कोड (यू सी सी सी) (आस्ट्रेलिया) (तारीख 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी)

सन् 1993 में राज्यों और राज्यक्षेत्रों ने यूनीफोर्म क्रेडिट लॉज़ एग्रीमेंट बनाए । क्वीन्सलैंड संसद् ने सन् 1994 में सांचा विधान पारित किया । अन्य अधिकारिताएं इसके बाद में आयीं और 'यूनीफोर्म सिस्टम' (जिसे इसमें इसके पश्चात् "यू सी सी सी" कहा गया है) आस्ट्रेलिया से बाहर तारीख 1 नवंबर, 1996 से प्रभावी हुआ । [यूनीफोर्म कॉन्ट्रेक्ट्स टर्म्स, डिस्कशन पेपर, जनवरी, 2004 (विक्टोरिया) का अवलोकन करें] ।

यू सी सी सी साधारणत: ऐसे उधार देने वाले व्यक्ति के मामले में लागू होता है जो किसी वास्तविक व्यक्ति या संस्तर (स्ट्रेटा) निगम को कारबार के दौरान या के आनुषंगिक ऋण प्रदान करता है और इसमें यह कहा गया है कि ऋण तभी दिया जाएगा जब इसका उपयोग प्रमुखत: निजी, घरेलू या घरेलू कामकाज के प्रयोजनार्थ किया जाए । यू सी सी सी उपभोक्ता पट्टों, संबंधित बीमा संविदाओं और संबंधित विक्रय संविदाओं (यथापरिभाषित) को भी लागू होता है ।

अन्यायसंगत संविदा की बाबत धारा 70 के अधीन पुन: विचार किया जा सकता

है । "अन्यायसंगत" शब्द संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम, 1980 (न्यु साउथ वेल्स) में की भांति ही परिभाषित है अर्थात् इसमें लोकात्माविरुद्ध, कठोर या अन्यायपूर्ण संविदाएं सम्मिलित हैं ।

यू सी सी सी की उपर्युक्त धारा 70 प्रक्रिया संबंधी और सारभूत अन्यायों के संबंध में है । उन बातों की सूची जिन्हें न्यायालय द्वारा धारा 70(2) के अधीन ध्यान में रखा जा सकता है उसी प्रकार की है जिन पर न्यायालय द्वारा संविदा पुनर्विलोकन अधिनियम, 1980 की धारा 9(2) के अधीन ध्यान दिया जाता है । क्या किसी निबंधन की बाबत बातचीत हुई इस बाबत न्यायालय को विचार करना होता है ।

यदि न्यायालय यह समझता है कि मामला अन्यायसंगत है, तो उस संव्यवहार पर पुन: विचार कर सकता है जिससे संविदा की गई । तत्पश्चात् वह, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा पर पुन: विचार करके ऋणी को उस सीमा तक संदाय से मुक्त कर सकता है जो वह युक्तियुक्त समझे और करार को संपूर्णत: या भागत: अपास्त कर सकता है या उसे संशोधित कर सकता है या उसे बदल सकता है, ऐसी रकम के संदाय का आदेश कर सकता है जो वह धारा 71 के अनुसार संविदा के अधीन पक्षकार को न्यायसंगत रूप में देय समझे । कार्रवाई केवल वैयक्तिक ऋणी को ही उपलब्ध है ।

धारा 72 के अधीन न्यायालय लोकात्माविरुद्ध ब्याज, फीस या अन्य प्रभारों का पुनर्विलोकन कर सकता है ।

फेअर ट्रेडिंग ऐक्ट, 1999 (विक्टोरिया)

फेअर ट्रेडिंग (अमेण्डमेंट) ऐक्ट, 2003 (विक्टोरिया)

विक्टोरिया राज्य ने फेअर ट्रेडिंग ऐक्ट, 1999 में संशोधन किया और यह संशोधन तारीख 9 अक्तूबर, 2003 से प्रवर्तन में आया । इसमें अऋजु संविदा

निबंधनों की चर्चा से संबंधित उपबंध सम्मिलित थे । ये उपबंध पर्याप्त रूप में यूनाइटेड किंगडम अनफेअर टर्म्स इन कज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशन्स से लिए गए थे । [यूनीफोर्म कॉन्ट्रेन्ट्स टर्म्स, ए डिस्कशन पेपर, जनवरी, 2004 (क्वीन्सलैण्ड एण्ड विक्टोरिया) का अवलोकन करें] ।

इन उपबंधों के अंतर्गत "उपभोक्ता संविदा" आती है जो इस प्रकार परिभाषित है : 'किसी प्रकार के माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए जो साधारणत: निजी घरेलू, घरेलू कामकाज में उपयोग में लाए जाने के लिए अर्जित की जाती हैं, उस माल या सेवाओं के साधारणत: निजी, घरेलू, घरेलू कामकाज में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्टत: या सामान्यत: प्रयोग किया जाने वाला लिखित या अन्यथा किया गया करार ।' अधिनियम का संक्षेप सार इस प्रकार है :

(1) किसी उपभोक्ता संविदा का निबंधन उस स्थिति में अऋजु होगा यदि वह सद्भाव की अपेक्षा के प्रतिकूल है और यह समस्त परिस्थितियों में उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल संविदा के अधीन पक्षकारों के अधिकारों और विबाध्यताओं में महत्वपूर्ण रूप में असंतुलन पैदा करे;

(2) यदि उपभोक्ता किसी निबंधन के अऋजु होने का विश्वास करता है, तो वह न्यायालय में इस विवाद्यक को उठा सकता है; जहां निबंधन अऋजु पाए जाने पर शून्य घोषित किया जाएगा; शेष संविदा पक्षकारों को आबद्ध करती रहेगी यदि यह निबंधन के बिना अस्तित्वशील रह सकती है;

(3) इस बाबत अवधारण करने के लिए कि कोई निबंधन अऋजु है, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या निबंधन की बाबत वैयक्तिक रूप से बातचीत हुई थी; क्या यह विहित निबंधन है और क्या यह अधिनियम में उपवर्णित उद्देश्य और प्रभाव के अनुरूप है ।

(4) संविदा के मानक प्ररूप निबंधनों को विनियम द्वारा भी अऋजु विहित किया जा सकता है और विहित निबंधन का प्रयोग या उसकी अनुशंसा किया जाना अपराध घोषित किया जा सकता है;

(5) निदेशक अधिकरण के समक्ष व्यादेश के लिए आवेदन कर सकता है जहाँ उसे यह विश्वास हो कि व्यक्ति धारा 32 जेड ए के अनुसार किसी उपभोक्ता संविदा में अऋजु निबंधन का या मानक प्ररूप संविदाओं की सिफारिश कर रहा है ।

मौखिक संविदा में सामान्य संविदाएं आती हैं; कीमत से संबंधित निबंधन इनके उपबंधों के अंतर्गत आता है; वह संविदा जिसको (पूर्व निर्दिष्ट) यू सी सी सी लागू होता है सम्मिलित नहीं है और न ही कारबार से कारबार की संविदाएं सम्मिलित हैं ।

व्यक्ति उपभोक्ता अपनी संविदा की बाबत न्यायालय का आश्रय ले सकता है । विक्टोरिया का सिविल और प्रशासनिक अधिकरण मानक प्ररूप संविदाओं के संबंध में मामलों पर नियमित रूप से विचार कर सकता है । **यूनाइटेड किंगडम के विपरीत, विक्टोरिया ऐसे विनियमों के माध्यम से जो अऋजु निबंधन विहित करते हैं निबंधनों की 'काली' सूची तैयार करने में समर्थ है और वह यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो अभियोजित भी कर सकता है ।**

धारा 163 के अधीन जो कि विक्टोरिया के फेअर ट्रेडिंग ऐक्ट, 1999 का एक साधारण उपबंध है यह कहा गया है कि लिखित संविदा सरलतापूर्वक सुस्पष्ट हों और यदि वह मुद्रित है तो 10 प्वॉइंट में होनी चाहिए तथा यह स्पष्टत: अभिव्यक्त हो । यदि निदेशक को इस बाबत विश्वास है कि निबंधन इस धारा के अनुपालन में नहीं है, तो वह विक्टोरिया के सिविल और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है । अधिकरण प्रदायकर्ता को इस उपबंध का प्रयोग करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और यदि

इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसके लिए शास्ति है ।

"लोकात्माविरुद्धता" कॉमनवेल्थ अधिकारिताओं में लोकप्रिय साबित हुई है और इन कॉमनवेल्थ देशों विशेष रूप से आस्ट्रेलिया में विगत दशक में पुनर्जागरण जैसा कुछ हुआ है । लोकात्माविरुद्धता की संकल्पना यद्यपि व्यापक निबंधनों में अभिव्यक्त है, फिर भी न्यायालय मान्य सिद्धांतों के अनुसार "**साम्यापूर्ण अधिकारिता**" का प्रयोग करते हैं । यह साम्यापूर्ण अधिकारिता उस समय अस्तित्वशील होती है जब एक पक्षकार 'किसी विशेष निर्योग्यता से ग्रस्त है या अभाव की किसी विशेष स्थिति में स्थित है' । [**कॉमर्शियल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया लि0** बनाम **अमाडियो** : (1983) 151 सी एल आर 447 जिसे मुल्ला कृत **इण्डियन कॉन्ट्रैक्ट एण्ड स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट्स,** 12वां संस्करण, जिल्द-1, पृष्ठ 479 पर उद्धृत किया गया है] । न्यायालय सौदों को मात्र इस कारण से अपास्त नहीं करते हैं कि वे न्यायाधीशें की दृष्टि में अऋजु, कठोर या लोकात्माविरुद्ध प्रतीत होते हैं । [**लाउथ** बनाम **डिपरोज़** : (1992) 175 सी एल आर 621 जिसे मुल्ला कृत इण्डियन कॉन्ट्रैक्ट एण्ड स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट्स, 12वां संस्करण, जिल्द 1, पृष्ठ 479 पर उद्धृत किया गया है] ।

अमाडियो वाला मामला

कॉमर्शियल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया लि0 बनाम **अमाडियो** (1983) वाले मामले में उच्च न्यायालय के सभी पांचों न्यायाधीशों ने लोकात्माविरुद्ध व्यौहारों के आधार पर संविदाओं को अपास्त करते हुए साम्यापूर्ण अधिकारिता की अस्तित्वशील की पुष्टि की ।

मामले के तथ्यों के अनुसार आंस्ट्रेलिया के दो वयोवृद्ध इटाली प्रवासियों ने जिन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी अपने पुत्र के अनुरोध पर एक कंपनी जो उसके नियंत्रण में

थी का ऑवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि का बैंक के पक्ष में एक बंधक निष्पादित किया । पुत्र ने अपने माता-पिता को यह बताया कि बंधक 50,000 डालर का होगा और छह माह के लिए । बैंक ने दंपत्ति को यह नहीं बताया कि बैंक कंपनी के चैकों का चुनिंदा तरीके से अनादरण (डिसोनर) करता रहा है और यह कि वे इस बाबत सहमत हो गए थे कि ऑवरड्राफ्ट कम किया जाएगा और अदायगी शीघ्र ही कर दी जाएगी । दंपति ने 50,000 डालर की रकम और छह माह की बात पर विश्वास करके बंधक पर हस्ताक्षर कर दिए किंतु जिन दस्तावेजों पर वास्तव में हस्ताक्षर किए गए जिनमें गारण्टी दस्तावेज़ भी था जिसमें एक 'ऑल मनीज़' खण्ड था । इसमें देय समस्त राशि या राशि जो कंपनी द्वारा बैंक को देनी है की प्राप्ति का उल्लेख था । बैंक को यह मालूम था कि दंपति को लिखत के बारे में गलत जानकारी दी गई थी ।

न्यायाधीशों ने बहुमत से यह माना कि अमोडियो दंपति विशेष निर्योग्यता के अधीन थे क्योंकि उन्हें गारण्टी की पूरी बातों के बारे में पूर्णत: जानकारी नहीं दी गई थी और वे कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के बारे में अनभिज्ञ थे । उनके पुत्र ने, जो उनकी सहायता करता, उन्हें धोखा दिया था । वस्तुनिष्ठ कसौटी को अपनाते हुए बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि बैंक यह जानता था कि अमोडियो दंपति को स्वतंत्र रूप में सलाह की आवश्यकता थी और इस जानकारी के आलोक में संव्यवहारों में आगे कार्यवाही करके बैंक ने लोकात्मादिरुद्ध कार्य किया । लोकात्माविरुद्ध व्यौहारों का सिद्धांत जिसे लागू किया गया संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया गया :

> "यह अधिकारिता दीर्घकाल से स्थापित होने के कारण साधारणत: इन परिस्थितियों को लागू होती है (i) जहां किसी संव्यवहार का कोई पक्षकार किसी अन्य पक्षकार के साथ व्यौहार करने में विशेष निर्योग्यता के अधीन था जिसके परिणामस्वरूप उनके मध्य युक्तियुक्त रूप में समता नहीं हो पायी; और (ii) यह

निर्योग्यता सशक्त पक्षकार को पर्याप्त रूप में प्रकट थी और जब उसने उन परिस्थितियों में जिनका विद्यमान होना दर्शित है आक्षेपित संव्यवहार के प्रति कमजोर पक्षकार की सम्मति प्रोद्भूत की या स्वीकार की तो प्रथमदृष्ट्या अऋजु या 'लोकात्माविरुद्ध' कार्य किया गया जिसका भार यह दर्शित करने के लिए सशक्त पक्षकार पर है कि यह संव्यवहार ऋजु, न्यायसंगत और युक्तियुक्त है ।"

<u>अमोडियो</u> दृष्टिकोण के अनुसार कमजोर पक्षकार ने उस रीति जिसमें संव्यवहार का समापन हुआ की बाबत प्रमुखतः बल दिया । यह <u>प्रक्रिया संबंधी</u> लोकात्माविरुद्धता है जिसमें पक्षकार को अवश्यमेव ही यह दर्शित करना चाहिए कि सशक्त पक्षकार ने लोकात्मविरुद्ध कार्य किया । दूसरी ओर, सारभूत प्रश्न अर्थात् निबंधनों की प्रकृति की बाबत कार्यवाहियों के द्वितीय प्रक्रम पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें यह दर्शित करने का भार कि संव्यवहार 'ऋजु, न्यायसंगत और युक्तियुक्त है' सशक्त पक्षकार पर होता है ।

<u>यूनाइटेड किंगडम की स्थिति</u>

यू. के. में संविदा विधियों में संविदा की स्वतंत्रता के आधारभूत सिद्धांत को स्वीकार्यता प्राप्त है अर्थात् पक्षकार ऐसे किसी भी निबंधन के प्रति कि वे यह उपबंध करना चाहते हैं कि उनका करार अवैध या लोक नीति के प्रतिकूल नहीं है सहमत होने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए । तथापि, व्यवहार में इस सिद्धांत पर निर्बंधन रहे हैं । ये निर्बंधन इस तथ्य द्वारा न्यायोचित हैं कि पक्षकारों को अपने हितों की संरक्षा करने की पर्याप्त सौदाकारी शक्ति प्राप्त नहीं है या पक्षकार सदैव पर्याप्त रूप में सुविज्ञ नहीं होते हैं ।

1994 तक अऋजु निबंधनों पर प्रमुख नियंत्रण "अपवर्जन" और "दायित्व की परिसीमा" खण्डों तक ही केन्द्रित रहा यद्यपि इस समस्या से निपटने के लिए 19वीं शताब्दी में पहले कुछ विधान पारित किया गया था। साम्या न्यायालय और कॉमन विधि का

सिद्धांत इस समस्या से जो मानक प्ररूप संविदाओं आवश्यकत: एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक बार प्रयोग किए जाने के लिए पहले से तैयार की गई पूर्व मुद्रित संविदाओं के विकास के साथ सामने आई से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे ।

यूनाइटेड किंगडम में लोकात्माविरुद्धता और न्यायालयों की साम्या अधिकारिता

कठोर और लोकात्माविरुद्ध सौदे अपास्त करने की दीर्घ स्थापित अधिकारिता है । अठारहवीं शताब्दी में साम्या न्यायालयों ने लोकात्माविरुद्धता के आधार पर अभिव्यक्त संविदागत उपबंधों को प्राय: अपास्त किया था । तथापि, ये सभी मामले लगभग कतिपय विशेष वर्गों अर्थात् बंधपत्र तथा पुनरीक्षणीय हितों के बंधक का विक्रय के अंतर्गत आते थे । साम्या अधिकारिता का प्रयोग अनुचित रूप में सभी सौदों पर पुनर्विचार करने के लिए किया जाता था । साम्या अधिकारिता का आश्रय निर्धन और अनभिज्ञ व्यक्तियों द्वारा की गई घोर रूप में अऋजु संविदाओं को अपास्त करने के लिए किया गया था । उन्नसवीं शताब्दी के अंत में साम्यापूर्ण अधिकारिता का दुरूपयोग होने लगा । कुछ इस कारण कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया और कुछ इस कारण कि मनीलैण्डर्स ऐक्ट, 1900 द्वारा कुछ क्रियाकलापों पर जो पहले साम्या अधिकारिता द्वारा विनियमित होते थे कानूनी नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था । साम्या अधिकारिता वर्गीकृत संविदा सिद्धांत के मूलाधार के प्रतिकूल लगा ।

आधुनिक समय में पुरातन साम्यापूर्ण अधिकारिता को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया गया । लॉयड्स बैंक [1974 (3) आल ई आर 757] वाले मामले में लार्ड डेनिंग ने यह सुझाव दिया कि यदि पक्षकार असमान सौदाकारी शक्ति हैं, तो संविदाओं को अपास्त करने की साधारण साम्यापूर्ण अधिकारिता उपलब्ध होगी । इस मामले में एक पक्षकार ने कुछ अऋजु और लोकात्माविरुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी श्रेष्ठ सौदाकारी शक्ति का प्रयोग किया था । साम्या द्वारा सौदों से विमुक्ति के लिए कभी भी किसी साधारण

शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया और हस्तक्षेप करने की इसकी अधिकारिता पारंपरिक रूप में उन मामलों तक ही सीमित रही जहां वादी के लिए अपने विधिक अधिकारों का नियमनिष्ठ रूप में अवलंब लेना लोकात्माविरुद्ध था ।

यूनाइटेड किंगडम में कॉमन विधि के अन्तर्गत लोकात्माविरुद्धता

मध्यकालीन कॉमन विधि में ऋण की रिटों और निरोध-मुक्ति-कार्यवाही के प्रयोग द्वारा अनेक अनौपचारिक करारों की बाबत कतिपय प्रकार के उपचार के लिए उपबंध था । उपधारणा के मामले में कार्रवाई का विकास और ऋण के मामले में कार्रवाई किया जाना अनुज्ञात था जिसमें कॉमन विधि के अन्तर्गत अनौपचारिक प्रकृति के कतिपय करारों के मामले में वाद लाया जा सकता था । यू. के. में लोकात्माविरुद्ध सौदों से संबंधित विधि हॉल्सबरी कृत लॉज़ ऑफ इंगलैण्ड (चतुर्थ संस्करण, पुन: अंक, जिल्द 16, साम्या (इक्विटी), पैरा 673) में इस प्रकार वर्णित है :

"जहां 'प्रक्रिया संबंधी अऋजुता' अऋजु रीति के कारण की जाए और जब यह अनुचित प्रभाव द्वारा उत्प्रेरित हो, या जहां यह खण्डन करने वाले पक्षकारों की परिस्थितियों और परिवेश से उद्भूत शक्ति के लोकात्मविरुद्ध प्रयोग द्वारा हो, तो ऐसे मामलों में साम्या द्वारा उपचार उपलब्ध होगा । किंतु जब इस तथ्य के कारण कि संविदा के निबंधन दूसरे पक्षकार के विशेष रूप से विरुद्ध हैं ('संविदाजात असंतुलन'), तो ऐसे मामलों में संविदाजात या अपर्याप्त प्रतिफल साम्या की दृष्टि से अनुतोष का आधार नहीं होगा अपितु यह ऐसा कपट सिद्ध करने का एक तत्व होगा जिससे संव्यवहार को टाला जा सके या संव्यवहार ऐसा लोकात्मविरुद्ध है जो कपट का साक्ष्य है । तथापि, कोई भी सौदा उस समय अऋजु और लोकात्माविरुद्ध नहीं हो सकता जब तक कि पक्षकारों में से किसी एक ने नैतिकता के विरुद्ध रीति में आपत्तिजनक निबंधन अधिरोपित न किए हों अर्थात् ऐसी रीति में जिससे दूसरे पक्षकार

की कमजोरी या आवश्यकता से फायदा उठाकर उसका अन्तरात्मा प्रभावित हो ।"

लार्ड डेनिंग एम. आर. ने ही इस सिद्धांत की यू. के. में **गिलेस्पीब्रदर्स एण्ड कंपनी लि. बनाम शॅव बोवेल्स ट्रांसपोर्ट लि०** [1973 क्यू. बी. 416] वाले मामले में प्रतिपादना की और वही यू. के. में इसके एकमात्र प्रथम जनक थे । इस मामले में लार्ड डेनिंग ने संविदा में सर्वप्रथम एक अयुक्तियुक्त क्षतिपूर्ति खण्ड का अर्थान्वयन करते हुए यह प्रश्न किया : क्या न्यायालय पक्षकार को अयुक्तियुक्त खण्ड इतना अयुक्तियुक्त है या अयुक्तियुक्त रूप में लागू किया गया है कि यह लोकात्माविरुद्ध है प्रवृत करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है । लार्ड डेनिंग ने यह कहा :

> "इस प्रश्न की बाबत में वही बात कहना चाहूंगा जो मैंने अनेक वर्ष पूर्व कही थी..............कॉमन विधि में संविदा की स्वतंत्रता अनुज्ञात करते हुए इस बाबत सतर्कता बरती जाती है कि इसका दुरूपयोग न हो । इसके अनुसार कॉमन विधि में किसी पक्षकार को जब उसके लिए ऐसा करना बिल्कुल लोकात्माविरुद्ध हो उसके दायित्व से छूट प्राप्त नहीं है ।"

लॉयड्स बैंक लि० बनाम **बण्डी** [1974 (3) आल ई आर 757] वाले मामले में लार्ड डेनिंग ने "सौदाकारी शक्ति की असमानता" का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया । इसके द्वारा अंग्रेजी विधि में ऐसे पक्षकार को, जो ऐसे निबंधनों पर संविदा करता है जो अऋजु हैं या संपत्ति का ऐसे निबंधनों पर संविदा करता है जो अऋजु हैं या संपत्ति का ऐसे प्रतिफल

पर अंतरण करता है जो अत्यधिक रूप में अपर्याप्त है और जब उसकी सौदाकारी शक्ति का उसकी अपनी आवश्यकताओं या वांछाओं के कारण या अपनी स्वयं की अनभिज्ञता या कमजोरी गंभीर रूप में हनन हो, अनुतोष प्राप्त है । व्यक्ति जो अऋजु फायदा अनुबद्ध करता है प्रमुखत: अपने स्वार्थ से उस परेशानी की परवाह किए बिना जो वह दूसरों को पैदा करता है ऐसा करने के लिए प्रेरित होता है । कोई भी अति जरूरतमंद व्यक्ति जानबूझकर अति अदूरदर्शितापूर्ण सौदे के प्रति प्रमुखत: उस तंगी जिसमें वह फंसा हुआ है से मुक्ति पाने के लिए सहमत हो सकता है । यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संव्यवहार स्वतंत्र सलाह से ही सुरक्षित रह पाता है । तथापि, इसके अभाव में यह घातक हो जाता है ।

हाउस ऑफ लार्ड्स में लार्ड डिपलॉक ने सौदे की अयुक्तियुक्तता या अऋजुता के सिद्धांत और जब पक्षकारों की आपेक्षिक सौदाकारी शक्ति में असमानता हो तो पक्षकार को संविदा से विमुक्त होने की आवश्यकता पर बल दिया । **ए. शिरोदर म्युजिक पब्लिशिंग कंपनी लि.** बनाम **मैकॉले** [1974 (3) आल ई आर 616] वाले मामले में गीत लेखक ने प्रकाशक से ऐसे निबंधनों पर जो उसके लिए दुरूह थे और प्रकाशक के अनुकूल थे संविदा की थी । गीत लेखक को ऐसे व्यापार के अवरोध जो लोक नीति के विरुद्ध था के सिद्धांत के आधार पर संविदा के समझौते से निर्मुक्त कर दिया गया था । इस विभेद को मानक प्ररूप की संविदा के संबंध में भी किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि

जब किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के समान सौदाकारी शक्ति सम्पन्न पक्षकारों ने मानक प्ररूप की संविदा अंगीकार की है, तो इससे आशयित है कि यह पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । न्यायालय पक्षकार को ऐसी संविदा से विमुक्त नहीं करेगा क्योंकि संविदाएं इसके पक्षकारों के मध्य होती हैं या कमजोर पक्षकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगठन द्वारा अनुमोदित होती हैं, ये संगठन उस पक्षकार द्वारा निदेशित होते हैं जिसकी सौदाकारी शक्ति का उसके द्वारा स्वयं या दूसरों के साथ समरूप माल या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसलिए वह कहने लगता है : "यदि आप इस माल या इन सेवाओं को चाहते हैं तो इन्हीं निबंधनों पर आप इन्हें अभिप्राप्त कर सकते हैं । लो या जाओ ।"

लेवीसन बनाम **पेटेन्ट स्टीम कारपेट क्लीनिंग कंपनी लि0** [1977 (3) आल ई आर 490] वाले मामले में लार्ड डेनिंग की ये मताभिव्यक्तियां भी उपयुक्त हैं जिनमें यह दोहराया गया है कि संविदा के अयुक्तियुक्त खण्ड मानक प्ररूप की संविदा को तब लागू होंगे जब सौदाकारी शक्ति में असमानता है । **एलेक लॉब गैरेजेज लि0** बनाम **टोटल ऑयल जी बी लि0** [1983 (1) आल ई आर 944] वाले मामले में के निर्णय में एक साधारण सिद्धांत की मान्यता का समर्थन किया गया जिसमें न्यायालय लोकात्माविरुद्ध सौदों के आधार पर मध्यक्षेप करने के हकदार थे जबकि करारों को लोकात्माविरुद्ध सौदे होने के आधार पर संव्यवहार को अपास्त किया जाना स्वीकार नहीं किया गया था ।

जब किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के समान सौदाकारी शक्ति सम्पन्न पक्षकारों ने मानक प्ररूप की संविदा अंगीकार की है, तो इससे आशयित है कि यह पक्षकारों पर आबद्धकर होगा । न्यायालय पक्षकार को ऐसी संविदा से विमुक्त नहीं करेगा क्योंकि संविदाएं इसके पक्षकारों के मध्य होती हैं या कमजोर पक्षकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगठन द्वारा अनुमोदित होती हैं, ये संगठन उस पक्षकार द्वारा निदेशित होते हैं जिसकी सौदाकारी शक्ति का उसके द्वारा स्वयं या दूसरों के साथ समरूप माल या सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसलिए वह कहने लगता है : "यदि आप इस माल या इन सेवाओं को चाहते हैं तो इन्हीं निबंधनों पर आप इन्हें अभिप्राप्त कर सकते हैं । लो या जाओ ।"

लेवीसन बनाम **पेटेन्ट स्टीम कारपेट क्लीनिंग कंपनी लि०** [1977 (3) आल ई आर 490] वाले मामले में लार्ड डेनिंग की ये मताभिव्यक्तियां भी उपयुक्त हैं जिनमें यह दोहराया गया है कि संविदा के अयुक्तियुक्त खण्ड मानक प्ररूप की संविदा को तब लागू होंगे जब सौदाकारी शक्ति में असमानता है । **एलेक लॉब गैरेजेज लि०** बनाम **टोटल ऑयल जी बी लि०** [1983 (1) आल ई आर 944] वाले मामले में के निर्णय में एक साधारण सिद्धांत की मान्यता का समर्थन किया गया जिसमें न्यायालय लोकात्माविरुद्ध सौदों के आधार पर मध्यक्षेप करने के हकदार थे जबकि करारों को लोकात्माविरुद्ध सौदे होने के आधार पर संव्यवहार को अपास्त किया जाना स्वीकार नहीं किया गया था ।

लोकात्माविरुद्धता के ये तत्व जो न्यायालय को सदैव उपलब्ध होते हैं और जिनके आधार पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है इस प्रकार तैयार किए गए थे : प्रथम, एक पक्षकार को दूसरे के देखने में गंभीर रूप में नुकसान में हुआ चाहे यह निर्धनता के कारण या अज्ञानता आदि के कारण था; द्वितीय, एक पक्षकार की कमजोरी का दूसरे पक्षकार द्वारा कुछ नैतिक रूप से आपराधिक रीति में शोषण किया गया; और तृतीय, पारिणामिक संव्यवहार न केवल कठोर या अन्यायपूर्ण रहा अपितु यह पहुंच से परे और कष्टकारक भी था।

इस निर्णय में सशक्त पक्षकार को आत्मनिष्ठ जानकारी होने की बात कही गई जिसने दूसरे पक्षकार की कमजोरी को जानते हुए सौदा अभिप्राप्त किया। इस साधारण सिद्धांत को अंग्रेजी विधि में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि अनुचित प्रभाव के सिद्धांत को अधिमानी तकनीक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

यूनाइटेड किंगडम में विधान

द केनाल्स एण्ड रेलवेज़ ऐक्ट, 1854 को किसी संविदा के इस प्रकार के खण्डों को अविधिमान्य बनाने वाला प्रथम कानून कहा गया है। कालांतर में अनेक अन्य विधायी नियंत्रण हायर परचेज़ ऐक्ट, 1938 में उपबंधित किए गए। 1970 तक दायित्व अपवर्जन और परिसीमा खण्डों पर व्यापक नियंत्रण नहीं था। 1962 में उपभोक्ता संरक्षण पर

समिति (मलोनी समिति) की अंतिम रिपोर्ट में उपभोक्ता संविदा के विक्रेताओं पर सेल ऑफ गुड्स ऐक्ट, 1893 (एस जी ए) के अधीन उनकी विवक्षित विबाध्यताओं की "संविदा करने" पर प्रतिषेध की सिफारिश की थी । 1966 में मामले को विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया गया था । विधि आयोग ने 1969 में प्रकाशित प्रथम रिपोर्ट में सेल ऑफ गुड्स ऐक्ट, 1893 में विभिन्न परिवर्तनों की सिफारिश की । इन सिफारिशों को सप्लाई ऑफ गुड्स (इम्पलाइड टर्म्स) ऐक्ट, 1973 (सोगीटा) को प्रभावी बनाया गया था जिससे किसी भी विक्रेता को दायित्व से अपवर्जित या निर्बंधित करने से निवारित कर दिया गया । उपभोक्ता विक्रयों में विक्रेताओं को सोगीटा, 1973 की धारा 13-15 के अधीन उनके दायित्व से अपवर्जित या निर्बंधित करने से निवारित कर दिया गया था (सौदागरी, वर्णन या नमूने के अनुषंगी और विशिष्ट प्रयोजन के उपयुक्त) : अन्य विक्रयों में इन दायित्वों को अपवर्जित या निर्बंधित किया जा सकता है किंतु केवल उस सीमा तक जब इससे अपवर्जन या निर्बंधन का अवलंब लेना ऋजु और युक्तियुक्त दर्शित हो ।

1975 में विधि आयोगों ने एक्ज़ैम्पशन क्लॉज़ेज से संबंधित द्वितीय रिपोर्ट (विधि आयोग सं. 69; स्कॉट विधि आयोग सं. 39) प्रकाशित की जिसमें कारबार करने वाले लोगों और उपभोक्ताओं, कारबार करने वाले लोगों के मध्य और प्राइवेट संविदाओं के मध्य की संविदाओं के दायित्व खण्डों के अपवर्जन और परिसीमा की बाबत व्यापक नियंत्रणों की सिफारिश की गई थी । इसके परिणामस्वरूप अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकटा' कहा गया है) अधिनियमित किया गया था जिससे कुछ उपांतरित रूप में 'सोगीटा' में नियंत्रण सम्मिलित किए गए । 1999 में अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशन्स (यू टी सी सी आर) आया और इसे ऐसे निबंधनों को लागू किया गया जो विबाध्यताओं या दायित्वों को अपवर्जित या निर्बंधित करते थे ।

अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 (यू. के.) [उकटा] की आधारभूत विशिष्टताएं

'उकटा' में इंगलैण्ड और स्कॉटलैण्ड के लिए पृथक उपबंध हैं । यह न केवल सभी संविदाओं को लागू होता है अपितु दोनों उपभोक्ता संविदाओं (धारा 4 और 5) और कारबार के मध्य की संविदाओं [धारा 6(1) और (3) – (धारा 20 (i), 20(2) (ii)] के साथ-साथ अपकृत्य के कतिपय दायित्व को अपवर्जित करने वाले निबंधनों और नोटिसों को भी लागू होता है ।

यह अधिनियम दायित्व खण्डों के अपवर्जन और परिसीमा (और उपभोक्ता संविदाओं के क्षतिपूर्ति खण्डों) को ही लागू होता है । अधिनियम उपेक्षापूर्वक कारित मृत्यु या वैयक्तिक क्षति के दायित्व को अपवर्जित करने या निर्बंधित करने के प्रयासों की बाबत कतिपय छूट खण्ड को स्वत: अप्रभावी बनाता है तथापि इसका अधिकांश भाग छूट खण्डों को अप्रभावी बनाता है जब तक कि वे अधिनियम की धारा 11 के अनुसार "युक्तियुक्तता" की अपेक्षा पूरी न करें । क्या संविदा युक्तियुक्तता की अपेक्षा को पूरी करती है इस बाबत अधिनियम

की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए । सबूत का भार उस पक्षकार पर है जो यह दावा करता है कि छूट खण्ड युक्तियुक्तता की अपेक्षा को पूरा करते हैं ।

अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशन, 1999 (यू टी सी सी आर) की आधारभूत विशिष्टताएं :

यू टी सी सी आर उपभोक्ताओं और विक्रेताओं या प्रदायकर्ताओं के मध्य की संविदाओं के संबंध में हैं। ऐसा कोई भी निबंधन नहीं जिसका स्वत: कोई प्रभाव न हो । आधारभूत रूप से, ये विनियम 'उपभोक्ताओं' और 'विक्रेताओं' या 'प्रदायकर्ताओं' के मध्य की संविदाओं के उन निबंधनों के संबंध में 'ऋजुता' की कसौटी को लागू करते हैं जिनकी बाबत वैयक्तिक रूप से बातचीत नहीं की जाती है । कोई भी अऋजु निबंधन उपभोक्ता को आबद्ध नहीं करता है । अऋजुता की कसौटी (विनिमय 5 के अधीन) की यह अपेक्षा है कि सद्भाव की अपेक्षा के प्रतिकूल संविदा के अधीन उद्भूत होने वाले पक्षकारों के अधिकारों और विबाध्यताओं में इतना भारी असंतुलन हो कि इससे उपभोक्ता को नुकसान हो । इसके अतिरिक्त, विनिमय 5(5) के अधीन अनुसूची 2 में निबंधनों की उपदर्शी और गैर-विस्तृत सूची है जिसे अऋजु माना जा सकता है । कतिपय 'कोर' निबंधनों को ऋजुता की कसौटी की विषयवस्तु से अपवर्जित किया गया है किंतु यह तब

जब वे सहज और बोधगम्य भाषा में हों । फेअर ट्रेडिंग और अर्हित निकायों के महानिदेशक को साधारण प्रयोग के लिए तैयार किए गए अऋजु निबंधन के सतत प्रयोग को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है । इस विनियम के अधीन उपभोक्ता सदैव यह साबित कर सकता है कि निबंधन अऋजु है ।

यू. के. विधि आयोग का परामर्श पत्र (2002):

यू सी टी ए (उकटा) और यू टी सी सी आर का पूर्णत: परस्पर संबंध नहीं है और इनमें भिन्न-भिन्न संकल्पनाओं और शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों में जटिलता और विसंगति है । 'उकटा' का इसके नाम के बावजूद अऋजु निबंधनों से कोई लेना-देना नहीं है । इस अधिनियम के अधीन किसी निबंधन की विधिमान्यता की इस बाबत परख नहीं की जा सकती है कि क्या कोई निबंधन अऋजु है । कुछ निबंधनों को साधारणत: अभिखंडित किया जाता है और दूसरों को यदि वे युक्तियुक्त हैं तो विधिमान्य । इसी भांति, विनियमों का प्रयोग किसी निबंधन को जिसकी बाबत अऋजु होने की बहस की जा सकती है आक्षेपित किया जा सकता है ।

अत: जनवरी, 2001 में, यू. के. विधि आयोग और स्कॉटिश विधि आयोग को दो विधिक सत्ताओं को एकीकृत सत्ता में बदले जाने, जो कौंसिल के निदेश के संगत होने के साथ-साथ अधिक सहज और अध्येता को अधिक स्पष्ट होगी, की संभाव्यता और

वांछनीयता पर विचार करने के लिए स्टेट एण्ड कन्ज्युमर्स एण्ड कॉरपोरेट एफेअर्स के संसद् अवर सचिव से एक संयुक्त निर्देश प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार विधि आयोगों ने तारीख 3 जुलाई, 2002 को 'संविदा के अऋजु निबंधनों' पर एक संयुक्त परामर्श पत्र सं. 166 जारी किया जिसमें इसमें सुझाए गए अनंतिम प्रस्तावों पर जनता के विचारों को आमंत्रित किया गया था । यू. के. के विधि आयोग ने संपूर्ण यू. के. के लिए केवल एकल विधान का प्रस्ताव किया । अऋजु निबंधनों के विरुद्ध संरक्षण उपभोक्ताओं के साथ-साथ कारबार संविदाओं दोनों के लिए परिकल्पित है । परिकल्पित एकीकृत विधान के अंतर्गत सभी निबंधनों की ऋजुता और युक्तियुक्तता की परख की जा सकती है । परिकल्पित एकीकृत विधान के अंतर्गत समस्त निबंधनों की ऋजु और युक्तियुक्त परीक्षा की जा सकती है । नवीन विधान में आधारभूत कसौटी 'ऋजु और युक्तियुक्त' होने की बजाय संविदा का मूल्यांकन समय के प्रति निर्देश करके किया जाना चाहिए । नवीन विधान में सारभूत ऋजुता और प्रक्रिया संबंधी ऋजुता दोनों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश भी अंतर्विष्ट हैं । (पैरा 4.96 - 4.99 - 4.101 देखिए)। आयोगों ने इस प्रश्न पर जनता के विचार आमंत्रित किए कि क्या यह दर्शित करने का भार कि यह ऋजु और युक्तियुक्त है (i) उस पक्षकार पर होना चाहिए जो यह दावा करता है कि यह ऋजु और युक्तियुक्त नहीं है यह दर्शित करने का भार (ii) उस पक्षकार पर होना चाहिए जो यह दावा करता है कि निबंधन ऋजु और युक्तियुक्त है अथवा और

यदि यह अनुसूची-2 के अंतर्गत आता है तो ऐसे मामले में उस पक्षकार को जो यह दावा करता है कि यह ऋजु और युक्तियुक्त है इस बात को दर्शित करना चाहिए ।

यू. के. विधि आयोग : अंतिम रिपोर्ट (सं. 292) (2004):

संविदा में ऋजु निबंधनों का प्रश्न विधि सुधार अभिकरणों, न्यायालयों और विधानमंडल का ध्यान आकर्षित करता रहा है । यूनाइटेड किंगडम में विधि आयोग और स्कॉटिश विधि आयोग ने फरवरी, 2004 में संविदा के अऋजु निबंधनों पर अपनी रिपोर्ट (विधि आयोग की रिपोर्ट सं. 292) संसद् में प्रस्तुत की । उक्त रिपोर्ट में ऋजु संविदा निबंधन से संबंधित दो प्रमुख विधानों अर्थात् अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 और अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशन, 1999 पर विचार किया गया था । अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 समस्त संविदाओं अर्थात् उपभोक्ता संविदा, कारबार संविदा, नियोजन संविदा और प्राइवेट संविदाओं को लागू होता है । तथापि, इस अधिनियम में प्राथमिकतः छूट खण्डों पर विचार किया गया है । संविदा के कतिपय खण्डों में दायित्व को अपवर्जित करने या निर्बंधित करने के खण्डों पर विचार करने के साथ ही युक्तियुक्तता की कसौटी भी लागू की गई । युक्तियुक्तता निबंधनों की अऋजुता पर निर्भर करती है जिसकी परख उन परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए जिनकी जानकारी पक्षकार को थी या जो उसके अनुध्यान में थीं । इसमें यह साबित करने का भार खण्ड का अवलंब लेने की ईप्सा करने वाले पक्षकार पर है कि वह यह दर्शित करे कि

निबंधन युक्तियुक्त है । द अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट रेग्युलेशन्स, 1999 (जो द यूरोपियन कौंसिल डाइरेक्टिव ऑन अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स को लागू करता है) संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में समस्त प्रकार की उपभोक्ता संविदाओं को लागू होता है और ये निबंधन ऋजुता की कसौटी के अध्यधीन हैं । इसमें इस बाबत व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हैं कि कसौटी किस प्रकार लागू की जाए अपितु इसमें उन निबंधनों की सूची है जो अऋजु माने जा सकते हैं ।

विधि आयोग ने इस बाबत भी विचार किया कि इन दोनों विधानों को ऐसे एकल एकीकृत अधिनियम द्वारा किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए ताकि अऋजु संविदा निबंधनों से संबंधित विधि को स्पष्ट और सुबोध रीति में उपवर्णित किया जा सके । आयोग ने एकीकृत सत्ता के लिए सिफारिश की थीं जो उपभोक्ता संविदाओं, साधारणतः कारबार संविदाओं को लागू हों और जिनके द्वारा उपभोक्ता संविदा विनियमों के अऋजु निबंधनों के व्यापक नियंत्रणों को छोटे कारबार की संविदाओं को लागू कर दिया गया था । इस रिपोर्ट में नियोजन संविदाओं, अंतरराष्ट्रीय संविदाओं और विधि की पसंद से संबंधित प्रश्नों पर भी विचार किया गया था । (अभिलेखों का संक्षिप्त सार पैरा 8.2 से 8.89 में है । इसके परिशिष्ट - 1 में 35 धाराओं के स्पष्टीकरण टिप्पणों और विभिन्न अनुसूचियों सहित प्रारूप विधेयक अंतर्विष्ट है) ।

भाग 1 में वर्णित धारा 1 में 'उपेक्षा के लिए कारबार दायित्व' की चर्चा है । धारा 2 में अपवादों का और धारा 3 में जोखिम की स्वेच्छया स्वीकृति की चर्चा है ।

भाग 2 में 'उपभोक्ता संविदाओं' – साधारण संविदाओं की चर्चा है । धारा 4 में ऐसे निबंधनों के प्रति निर्देश है जिनका उस समय तक कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि वे ऋजु और युक्तियुक्त न हों । धारा 5 में उपभोक्ता को विक्रय या प्रदाय, धारा 6 में कारबार के विक्रय या प्रदाय, धारा 7 में विनियमों और प्रवर्तन और धारा 8 में अस्पष्टता की बाबत चर्चा है ।

भाग 3 में 'गैर उपभोक्ता संविदाओं' अर्थात् कारबार संविदाओं की चर्चा है । धारा 9 में मानक प्ररूप, धारा 10 में माल के विक्रय या प्रदाय की, धारा 11 में गैर - बातचीत किए हुए निबंधनों, धारा 12 में लिखित मानक निबंधनों और धारा 13 में माल के विक्रय या प्रदाय की चर्चा है ।

भाग 4 की धारा 16 में 'ऋजु और युक्तियुक्त' कसौटी की चर्चा है । धारा 15 में उपेक्षा के लिए उपभोक्ताओं के दायित्व से संबंधित सबूत का भार वर्णित है । धारा 16 में उपभोक्ता संविदाओं और धारा 17 में कारबार संविदाओं का वर्णन है ।

भाग 5 में विधि की पसंद की चर्चा है । धारा 18 में 'उपभोक्ता संविदाओं' की, धारा 19 में कारबार संविदाओं और धारा 20 में लघु कारबार संविदाओं की चर्चा है ।

भाग 6 का शीर्षक 'प्रकीर्ण और अनुपूरक' है । धारा 21 में न्यायालय द्वारा उठाए गए अऋजुता के प्रश्न की बाबत चर्चा है । धारा 22 में अपवाद हैं । धारा 23 में द्वितीयक (माध्यमिक) संविदाओं, धारा 24 में संविदाओं के अऋजु निबंधनों के प्रभाव की, धारा 25 में निर्वचन अर्थात् 'उपभोक्ता संविदा' की परिभाषा और कारबार संविदा (धारा 26) की चर्चा है, धारा 27 में 'लघु कारबार' की, धारा 28 में 'सहयुक्त व्यक्ति', धारा 29 में 'लघु कारबार संविदा' परिभाषित है । धारा 30 में 'अपवर्जनकारी या निर्बंधनकारी दायित्व', धारा 31 में 'भाड़ा खरीद' या 'भाड़ा' और धारा 32 में विभिन्न निबंधनों के साधारण निर्वचन का वर्णन है । धारा 33 से 35 साधारण हैं ।

उपभोक्ता संविदाएं : आयोगों ने ऐसे विधान की सिफारिश की जो उपभोक्ता को ऐसे किसी भी निबंधन को जो 'कोर' निबंधन नहीं है और चाहे यह ऐसा निबंधन है जिसकी बाबत बातचीत की गई थी या नहीं चुनौती देना अनुज्ञात करता है । 'कोर' निबंधन उपभोक्ता संविदाओं के वे निबंधन होते हैं जिनके द्वारा कीमत नियत की जाती है या उत्पाद परिभाषित किया जाता है या सेवा प्रदान की जाती है । 'कोर' निबंधन से अन्यथा निबंधनों की ऋजुता और युक्तियुक्तता की परख की जानी चाहिए । तथापि, यह साबित करने का भार कि निबंधन ऋजु है कारबार पर होगा ।

कारबार संविदाएं : आयोग ने गैर-उपभोक्ता संविदाओं के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश की । उसने कारबार संविदा में के निबंधनों का उस स्थिति में

पुनर्विलोकन किए जाने की सिफारिश की जब एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के कारबार के लिखित मानक निबंधनों से संबंध हो । लघु कारबार संविदाओं के संबंध में लघु कारबारों द्वारा बहुत ही कम निबंधनों के वर्ग को चुनौती दी जा सकती है। लघु कारबारों पर यह साबित करने का भार भी होता है कि निबंधन ऋजु और युक्तियुक्त नहीं है ।

<u>नियोजन संविदाएं</u> : न्यायालयों द्वारा अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1997 कर्मचारी को उपभोक्ता मानकर या नियोजन संविदा को नियोजक के कारबार के लिखित मानक निबंधन मानकर नियोजन संविदाओं को लागू किया गया है । आयोग ने यह सिफारिश की कि कर्मचारी नियोजन के सुसंगत निबंधन को केवल तभी चुनौती दे सकता है जब सुसंगत भाग नियोजक के कारबार के लिखित मानक निबंधन हों । दूसरे शब्दों में, जहां नियोजन नियोजक के मानक निबंधनों पर है, वहां ऐसे निबंधन की जिससे नियोजक के दायित्व का अपवर्जन या निर्बंधित करना तात्पर्यित है या जो नियोजक को इस बाबत अनुज्ञात करता है कि वह उसका सारवान् रूप में निष्पादन करे जिसकी किसी युक्तियुक्त व्यक्ति से आशा की जाती है ऋजुता और युक्तियुक्तता की परख की जा सकेगी ।

<u>यू. के. में लागू यूरोपियन कौंसिल डाइरेक्टिव (1993) और रेग्युलेशंस, 1994, 1999 और 2001</u>

यूरोपियन कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सन् 1993 में उपभोक्ता संविदाओं के अऋजु निबंधनों पर निदेश पारित किए जो (परिसीमित अपवादों के साथ) किसी भी प्रकार की

उपभोक्ता संविदाओं के अऋजु निबंधनों को लागू होते हैं । इस निदेश को यू. के. में अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशंस, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् यू टी सी सी आर कहा गया है) और जिसे अब यू टी सी सी आर, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है द्वारा लागू किया गया था । इसे आगे अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स (अमेण्डमेन्ट) रेग्युलेशंस, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था । 1999 के विनियमों (रेग्युलेशंस) द्वारा निदेश के तत्व और ब्यौरों को अंग्रेजी विधि में परिणत किया गया था । विनियमों द्वारा 'उकटा' (यू सी टी ए) को संशोधित करना या निरसित करना नहीं था । इनके द्वारा नियंत्रणों के अतिरिक्त सैट का उपबंध करना था ।

अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स (अमेण्डमेंट) रेग्युलेशंस, 2001 द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज़ ऑथरिटी को प्रथम अनुसूची के भाग 1 में वर्णित अर्हित निकायों की सूची में जोड़कर अनफेअर टर्म्स इन कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्युलेशंस, 1999 ("प्रमुख विनियमों") में संशोधन किया गया । इन विनियमों द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग 1 में सूचीबद्ध कतिपय अर्हित निकायों के नामों में परिवर्तन परिलक्षित करने के लिए और इस तथ्य को परिलक्षित करने के लिए कि विद्युत प्रदाय महानिदेशक तथा गैस प्रदाय महानिदेशक के कृत्यों को युटीलिटीज़ ऐक्ट, 2000 के भाग 1 के अधीन गैस और विद्युत बाजार प्राधिकरण (गैस एण्ड इलैक्ट्रीसिटी ऑथरिटी) को अंतरित कर दिया गया है प्रमुख विनियमों में भी संशोधन किया गया ।

प्रमुख विनियम महानिदेशक और लोक अर्हित निकायों को शिकायतों से संबंधित अन्वेषण को सुकर बनाने और उपक्रमों या न्यायालय द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की बाबत व्यापारियों द्वारा अपनी मानक संविदाओं की प्रतियां प्रस्तुत करने और उनके प्रयोग किए जाने की बाबत सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा करने की शक्ति प्रदान करते हैं ।

इस प्रकार संविदा विधि के क्षेत्र में यू. के. में द अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स ऐक्ट, 1977 (यू सी टी ए) और द अनफेअर टर्म्स ऑफ कन्ज्युमर कॉन्ट्रेक्टस रेग्युलेशंस, 1999 (यू टी सी सी आर) संभवत: दो एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधान हैं । विधि आयोग ने 2004 में अब जो प्रस्थापित किया है उसे एकल अधिनियम में एकीकृत किया जाना है ।

कनाडा

कनाडा की अधिकारिताओं के अंतर्गत लोकात्माविरुद्ध आचरण एक अपराध है । सभी कॉमन लॉ प्रांतों में अनकॉन्सयनेबल ट्रान्जेक्शन्स रिलीफ ऐक्ट है जिसके अंतर्गत अऋजु ऋण संव्यवहारों पर पुन: विचार किया जा सकता है ।

(क) <u>द ऑन्टेरियो बिजनेस प्रैक्टिसेज़ ऐक्ट, 1990</u> में "लोकात्माविरुद्ध उपभोक्ता व्यपदेशन" को अऋजु पद्धति माना गया है । लोकात्माविरुद्धता के अंतर्गत किसी करार की भाषा को समझने में शारीरिक दुर्बलता, अज्ञानता, निरक्षरता और असमर्थता सदृश प्रक्रिया संबंधी बातों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित है :

2.2. iii. यह कि कीमत अत्यधिक रूप में उस कीमत से अधिक है जिस पर उसी प्रकार का माल या सेवाएं उसी प्रकार के उपभोक्ताओं को तत्काल उपलब्ध हैं;

2.2 v. यह कि प्रस्तावित संव्यवहार उपभोक्ता से अन्यथा किसी व्यक्ति के पक्ष में अत्यधिक एकतरफा है; और

2.2. vi. यह कि प्रस्तावित संव्यवहार की शर्तें या निबंधन उपभोक्ता के इतने प्रतिकूल हैं कि ये असाम्यापूर्ण कही जा सकती हैं ।

[देखिए चर्चा पत्र, अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स (2004) (विक्टोरिया)]

(ख) द सस्केच्वन कन्ज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1996 भी अऋजु पद्धतियों का प्रतिषेध करता है । इसकी धारा 6(य) क्यू इस प्रकार है :

"उपभोक्ता द्वारा किसी उपभोक्ता करार में ऐसे निबंधन या शर्तें सम्मिलित करके जो कठोर, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक रूप में एकतरफ़ा हैं फायदा उठाया जाना ।"

(ग) द अल्बर्टा फेअर ऐक्ट, 1998 में अऋजु पद्धतियों की एक सूची सम्मिलित है :

धारा 6(2)(घ) में माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत, कीमत के अंतर और अंतर के कारण की बाबत अवगत कराए बिना उस माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत प्रभारित किए जाने के प्रति निर्देश है जो उस कीमत से अत्यधिक है जिस पर वही माल या सेवाएं उपभोक्ता को तत्काल उपलब्ध हैं; और

धारा 6(3)(ग) में किसी उपभोक्ता संव्यवहार में ऐसे निबंधन या शर्तें जो कठोर, अन्यायपूर्ण या अत्यधिक रूप में एकतरफा हैं सम्मिलित किए जाने के प्रति निर्देश है ।

(घ) ब्रिटिश कॉलम्बिया में द बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ एण्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2004 के सारभूत उपबंधों का जिनमें अऋजु संविदा निबंधनों की चर्चा है, बड़ा भाग, ब्रिटिश कॉलम्बिया के दो पूर्ववर्ती उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, द ट्रेड प्रैक्टिस ऐक्ट, 1996 और द कन्ज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1996 में यथावर्णित विधि का पुनर्कथन है । ब्रिटिश कॉलम्बिया के ट्रेड प्रैक्टिस ऐक्ट, 1996 में इस बाबत अवधारण करने के लिए कि क्या कार्य या पद्धति लोकात्माविरुद्ध है न्यायालय से उन समस्त परिवेशी परिस्थितियों जिन्हें प्रदायकर्ता जानता था या उसकी जानकारी में थीं के साथ-साथ प्रक्रिया संबंधी बातों पर विचार करने की अपेक्षा करता है । धारा 4(3)(ग) में यह निर्दिष्ट है कि जिस समय उपभोक्ता संव्यवहार किया गया, कीमत उस कीमत से बहुत अधिक थी जिस पर समरूप उपभोक्ता संव्यवहारों की समरूप विषयवस्तु एक जैसे उपभोक्ताओं को तत्काल उपलब्ध थी । धारा 3(3)(ङ) में यह कहा गया है कि वे निबंधन या शर्तें जिन पर या जिनके अधीन उपभोक्ता संव्यवहार उपभोक्ता द्वारा किया गया था असाम्यापूर्ण रूप में उपभोक्ता के प्रति कठोर या प्रतिकूल हैं ।

द बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ एण्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2004 में व्यापार पद्धति अधिनियम के दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें किए गए उपबंध से

लोकात्माविरुद्धता के न्यायिक सिद्धांत को कानूनी मूर्तरूप प्रदान किया जाना आशयित था । साधारणतः, कारबार पद्धति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2004 के उपबंध सारभूत विधि के बजाय सुदृढ़करण और विनियमनकारी संरचना से संबंधित हैं । ब्रिटिश कॉलम्बिया विधि संस्थान ने अऋजु संविदा निबंधनों पर अपनी हाल ही की रिपोर्ट [बी सी एल आई रिपोर्ट सं. 35, फरवरी, 2005] में अऋजु संविदा निबंधनों की विधि में सुधार करने के लिए विभिन्न विकल्पों का अनुशीलन किया । तथापि, उसने अऋजु संविदा निबंधनों के संबंध में किसी प्रकार के विधायी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की ।

(ड) क्यूबेक सिविल कोड (1991) में कॉमन विधि अधिकारिताओं के संबंध में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया गया है । (धारा 1432 से 1438) ।

न्यूज़ीलैण्ड

न्यूज़ीलैण्ड में ऐसा कोई एकल विनिर्दिष्ट विधान नहीं है जो उपभोक्ता संविदाओं के अऋजु निबंधनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता हो । द फेअर ट्रेडिंग ऐक्ट, 1986 (एन जैड एफ टी ए) और द कन्ज्युमर गारण्टीज़ ऐक्ट, 1993 (सी जी ए) न्यूज़ीलैण्ड में दो प्रमुख उपभोक्ता विधान हैं [देखिए अनफेअर कॉन्ट्रेक्ट टर्म्स, चर्चा पत्र, विक्टोरिया, 2004] ।

न्यूज़ीलैण्ड फेअर ट्रेडिंग ऐक्ट में व्यापार, व्यापार वर्णन, अऋजु पद्धतियों, उपभोक्ता सूचना और उत्पादन सुरक्षा से संबंधित भ्रामक और मिथ्या आचरण का

वर्णन है । दायित्व कठोर है (भंग निर्दोषितापूर्ण हो सकता है) । किसी भी अधिनिर्णीत सिविल उपचार का प्रकार और रकम वैवेकिक है । व्यापार पद्धति अधिनियम, 1974 (आस्ट्रेलिया) के विपरीत जिस पर वह व्यापक रूप में आधारित है इसमें लोकात्माविरुद्ध आचरण से संबंधित उपबंध नहीं हैं ।

न्यूज़ीलैण्ड कन्ज्युमर गारण्टीज़ ऐक्ट उन माल या सेवाओं के प्रदाय को लागू होता है जिनसे साधारण घरेलू कामकाज में प्रयोग किया जाना आशयित है । इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को अनेकों विवक्षित गारण्टियां उपबंधित हैं । इसमें विक्रेताओं और विनिर्माताओं पर विबाध्यताएं अधिरोपित की गई हैं और इसमें ऐसे विभिन्न उपचार उपबंधित हैं जो उपभोक्ता को माल या सेवाओं के विनिर्माता या विक्रेता से निपटने के लिए समर्थ बनाते हैं ।

न्यूज़ीलैण्ड में ऐसे अनेकों कानून हैं जो संविदागत संबंधों के प्रति कॉमन विधि के दृष्टिकोण में सुधार करते हैं ।

<u>द कॉन्ट्रैक्च्युल रेमेडीज़ ऐक्ट, 1979</u> – किसी संविदा के पक्षकार को निर्दोष या उपेक्षापूर्ण दुर्व्यपदेशन के लिए जिससे संविदा उत्प्रेरित हुई (यह मानते हुए मानोकि व्यपदेशन संविदा का निबंधन था) निर्धारण करके नुकसानी वसूल करने के लिए अनुज्ञात किया गया है और साथ ही यह उन परिस्थितियों को भी शासित करता है जिनमें पक्षकार संविदा को रद्द करने का हकदार होता है । संविदा रद्दकरण के परिणामस्वरूप सभी पक्षकार आगे पालन करने से विमुक्त हो जाएंगे । इस अधिनियम में न्यायालयों को जब संविदा रद्द

की जाती है उस स्थिति में अन्याय रोकने के लिए किसी पक्षकार को उपचारी अनुतोष प्रदान करने की व्यापक वैवेकिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ।

द कॉन्ट्रेक्च्युल मिसटेक्स ऐक्ट, 1977 और द इल्लीगल कान्ट्रेक्ट्स ऐक्ट, 1970 में व्यापक रूप में उन संविदाओं से संबंधित जो विधि की गलती या विधि के प्रतिकूल की जाती हैं कॉमन विधि के स्थापित नियमों को कूटबद्ध किया गया है । तथापि, दोनों कानून न्यायालय को इन अधिनियमों के अध्यधीन संविदाओं के संबंध में उपचारी अनुतोष प्रदान करने की बाबत व्यापक कानूनी विवेकाधिकार प्रदान करते हैं ।

साउथ अफ्रीकन लॉ कमीशन

डिस्कशन पेपर 65 ऑन अनरीज़नेबल स्टिपुलेशंस इन कॉन्ट्रेक्ट्स एण्ड द रैक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट्स (1996) और अंतिम रिपोर्ट (1998)

दक्षिण अफ्रीका के विधि आयोग परियोजन सं. 47 का उद्देश्य इस बाबत विचार करना था कि क्या न्यायालयों को संविदागत निबंधनों या संविदाओं को जो अन्यायसंगत या लोकात्माविरुद्ध हैं उपचार प्रदान करने और तत्पश्चात् इन्हें न्यायालयों के समक्ष इन संविदाओं या निबंधनों से संबंधित विशिष्ट स्थितियों को लागू किए जाने के लिए उपांतरित किया जाए जिससे कि अन्यथा होने वाले अन्याय से बचा जा सके । आगे इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि क्या न्यायालयों की पुनर्विलोकन की शक्ति सभी प्रकार की संविदाओं, गैर-उपभोक्ता संव्यवहारों, अन्तरराष्ट्रीय करारों को लागू होनी चाहिए या केवल मानक प्ररूप संविदाओं को ही ।

आयोग के प्रथमदृष्ट्या विचारों से जनता को अवगत कराने के लिए और पाठकों को बहस में भाग लेने की बाबत समर्थ बनाने की दृष्टि से ताकि अन्ततः विधान बनाया जा

सके, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, इस चर्चा पत्र 65 को 1996 में प्रकाशित किया गया था । तथापि, कार्यकारिणी समिति ने इस चर्चा पत्र 65 में यह प्रस्तावित किया कि न्यायालयों को संविदा या उसके किसी निबंधन को विखण्डित करने या संशोधित करने या ऐसा अन्य आदेश करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए जो न्यायालय की राय में संविदा के पक्षकारों में से किसी पर अयुक्तियुक्त रूप में प्रतिकूल या अन्यायपूर्ण प्रभाव रोकने के लिए आवश्यक हो (पैरा 2.4.11) । इसके अलावा, इस चर्चा पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्व-निर्मित मानक संविदा के निबंधन अयुक्तियुक्त, लोकात्माविरुद्ध या अन्यायपूर्ण नहीं हैं एक ऑम्ब्डसपर्सन (लोकपाल) की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव था ।

आयोग ने भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों और विभिन्न देशों की विधिक स्थिति पर विचार करने के उपरांत अप्रैल, 1998 में रिपोर्ट दी । आयोग का यह भी मत था कि सभी संविदागत प्रक्रमों पर अर्थात् उन प्रक्रमों पर जब संविदा अस्तित्व में आती है, जब यह निष्पादित की जाती है या जब इसके निबंधन लागू किए जाते हैं संविदागत अऋजुता, अयुक्तियुक्तता, लोकात्माविरुद्धता या अन्यायकारिता के विरुद्ध विधान बनाए जाने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार आयोग ने संविदाओं में अयुक्तियुक्तता, लोकात्माविरुद्धता या अन्यायकारिता को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव पेश किया । यह उपबंध करने के लिए ताकि न्यायालय यह अवधारण कर सके कि क्या संविदाओं के संविदागत आदेश अयुक्तियुक्त, लोकात्माविरुद्ध या अन्यायकारी हैं; उन निबंधनों के संबंध में जो अयुक्तियुक्त, लोकात्माविरुद्ध या अन्यायकारी हैं उच्च न्यायालय की शक्तियां निश्चित करने के लिए; ऑम्ब्डसपर्सन का पद सृजित करने के लिए; ऑम्ब्डसपर्सन के कार्यालय के लिए अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति के लिए उपबंध करने; और इससे

संबंधित बातों की बाबत आयोग ने प्रस्ताव किए थे । आयोग ने प्रस्तावित विधान में मार्गदर्शक बातें निश्चित करके अयुक्तियुक्तता, लोकात्माविरुद्धता और अन्यायकारिता की संकल्पनाओं को कुछ परिभाषित करने की आवश्यकता भी महसूस की ।

अंतिम रिपोर्ट (1998) के भाग (xiii) से लेकर (xx) (पैरा 1.1 से लेकर पैरा 1.12) में उसकी सिफारिशों का सार दिया गया है ।

अध्याय 1 में 'चर्चा पत्र 65 में यथापरिभाषित समस्या' के प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2 के पैरा 2.1 से 2.9.5 (पृष्ठ 30 से 213) में यह वर्णित है :

(क) विधान अधिनियमित किए जाने की वांछनीयता (पैरा 2.3)

(ख) क्या न्यायालयों और/या अधिकरणों को अऋजु या लोकात्माविरुद्ध संविदाओं के विरुद्ध कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए ? (पैरा 2.3)

(ग) न्यायालयों की प्रतितोष प्रदान करने संबंधी खामियां (पैरा 2.3.4)

(घ) न्यायालयों को प्रदान की जाने वाली शक्तियां (पैरा 2.4) (तुलनात्मक अध्ययन)

(ङ) ऋजुता के मानदण्ड (कसौटी) (पैरा 2.5)

(च) मार्गदर्शक सिद्धांत (पैरा 2.6) (तुलनात्मक अध्ययन)

(छ) प्रस्तावित विधान की व्याप्ति (पैरा 2.7) (तुलनात्मक अध्ययन)

(ज) संविदा की समाप्ति के उपरांत की परिवर्तित परिस्थितियां (पैरा 2.8)

(झ) पेरोल साक्ष्य नियम (पैरा 2.9)

परिशिष्ट क में संविदाओं या निबंधनों में अयुक्तियुक्तता, लोकात्माविरुद्धता या अन्यायकारिता के प्रसंग में दक्षिण अफ्रीका की विधि आयोग का विधेयक अंतर्विष्ट है ।

विधेयक (1998) में 6 धाराएं हैं जिनके शीर्षक निम्न प्रकार हैं :

धारा 1 : न्यायालय यह अवधारित कर सकता है कि क्या संविदागत निबंधन

अयुक्तियुक्त, लोकात्माविरुद्ध या अन्यायपूर्ण हैं और समुचित आदेश जारी कर सकता है ।

धारा 2 : न्यायालय संविदाओं या निबंधनों की अयुक्तियुक्तता, लोकात्माविरुद्धता या अन्यायकारिता का अवधारण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में ले सकता है ।

इसमें (क) से लेकर (य) तक खण्ड हैं ।

धारा 3 : अधिनियम का लागू होना (अर्थात् समस्त संविदाओं को) ।

धारा 4 : उन परिस्थितियों को ध्यान में लेना जो संविदा की समाप्ति के समय विद्यमान थीं और परिस्थितियों के पश्चात्वर्ती परिवर्तनों का प्रभाव ।

धारा 5 : संविदा के निर्वचन में सहायक अनुज्ञेय साक्ष्य ।

धारा 6 : ऑम्बुडसमैन

इस धारा में ऑम्बुडसमैन द्वारा शिकायतें प्राप्त करने, जानकारी की अपेक्षा करने, प्रारूप कोर विनियमित करने, तैयार करने, पक्षकारों को वचनबद्धता के साथ उपस्थित होने के लिए निदेश देने और पक्षकारों के असफल रहने पर निदेशों के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने से संबंधित उसकी शक्तियां वर्णित हैं ।

अध्याय 6

कामन ला : संविदा निबन्धनों के विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में अऋजुता

इस अध्याय में, हम अऋजु निबन्धनों के संदर्भ में संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित कामन ला सिद्धांतों के प्रति निर्देश करेंगे।

(क) कामन ला: संविदाओं के 'विनिर्दिष्ट पालन ' में, ' अऋजुता' :

कामन ला के अधीन, यदि कोई निबंधन अऋजु है, तो न्यायालय निबन्धनों या संविदा को प्रवर्तित (लागू) न कराने के विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेगा किन्तु न्यायालय निबन्धनों या संविदा को शून्य घोषित नहीं कर सकता है।

प्रश्न यह है कि संविदाओं में 'ऋजुता ' शब्द से हम क्या समझते हैं, विनिर्दिष्ट पालन हेतु वादों में जिसका न्यायालयों द्वारा संरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

कामन ला के अधीन, संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन के लिए 'ऋजुता ' सदा एक आवश्यक शर्त थी। लार्ड हार्ड विक ने बक्स्टन बनाम लिस्टा (3 एटीके 386) में यह कहा :

> " इस न्यायालय में इस बात से अधिक और कोई चीज स्थापित नहीं है कि इस प्रकार के प्रत्येक करार को, उसके सभी भागों में, ऋजु और न्यायसंगत होना चाहिए। यदि मामले में उन संघटकों में से किसी का अभाव है, तो यह न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री नहीं करेगा। "

लार्ड वालपोल बनाम लार्ड आरफोर्ड (3 वेस, 420) मामले में लार्ड लफबारो (बाद में लार्ड रासलिन) ने यह कहा :

" मैं इस बात को साधारण प्रतिपादना के रूप में अधिकथित कर रहा हूं, जिसकी मैं कोई सीमा नहीं समझता , कि सभी करार , इस न्यायालय में निष्पादित किए जाने हेतु, अवश्य ही निश्चित और परिभाषित होने चाहिएः दूसरे , वे समतापूर्ण और ऋजु होने चाहिएः क्योंकि यह न्यायालय, जब तक कि वे ऋजु नहीं है, उन्हें निष्पादिल नहीं करेगा, और तीसरे, वे अवश्य ही ऐसी रीति में साबित किए जाने चाहिए, जैसी कि विधि द्वारा अपेक्षित हो। "

आगे हम 'संविदाओ' में 'ऋजुता' के बारे में कामन ला के सिद्धांतों के प्रति निर्देश करेंगे।

(ख) कामन लाः विनिर्दिष्ट पालन के लिए संगत संविदाओं में " प्रक्रिया संबंधी " और " सारभूत" अऋजुता और कठिनाई पर फ्राई का मतः

फ्राई ने ' स्पेसिफिक परफार्मेंस ' (विनिर्दिष्ट पालन) की अपनी प्रसिद्ध टीका (छठा संस्करण, 1921) (भारतीय पुनर्मुद्रण, 1997) में अपनी कृति के अध्याय 5 में ' संविदा में ऋजुता का अभाव ' का अनन्य रूप से विवेचन किया है। (पैरा 387 देखें)। उनका यह कहना है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें, " यद्यपि ऐसी कोई चीज नहीं है, जो वास्तव में कपट की कोटि में आती हो, फिर भी संविदा में उस समता और ऋजुता का अभाव है, जो जैसा कि हम देख चुके हैं , इसलिए आवश्यक है कि न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन में अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग कर सके। कपट के मामलों में, न्यायालय न केवल संविदा का पालन नहीं करायेगा, बल्कि उसे

विखण्डित भी कर देगा, किन्तु ऐसे अनेक मामले हैं, जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कोई कदम नहीं उठाएगा और न तो इस एक प्रयोजन के लिए और न अन्य प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप करेगा।

(विलान बनाम विलान)(16 वी ई एस 83)

किन्तु किसी संविदा या निबन्धन की ' अऋजुता ' की आधुनिक संकल्पना के अधीन, न्यायालय संविदा या, निबन्धन को न केवल अप्रवर्तनीय बल्कि अविधिमान्य या शून्य भी घोषित कर सकता है। तथापि, कामन ला के अधीन ऐसा नहीं था, जिसने न्यायालय को केवल ' अऋजु ' निबन्धनों या संविदाओं को प्रवर्तित न करने का विवेकाधिकार ही दिया था।

फ्राई के अनुसार , (पैरा 388 देखें) अऋजुता या तो स्वयं संविदा के निबन्धनों में हो सकती है (जिसे आज कल हम ' सारभूत ' अऋजुता कहते हैं) या वह बाह्य रूप की और ऐसी परिस्थितियों में हो सकती है जिसमें इसे किया गया था। (जिसे आजकल हम 'प्रक्रिया संबंधी ' अऋजुता कहते हैं): पश्चात कथित के संबंध में मौखिक साक्ष्य निस्सन्देह ग्राह्य हो सकता है।

एक सिद्धान्त, जो शताब्दियों से प्रचलन में रहा है, यह है कि (फ्राई का पैरा 309 देखें)संविदा की 'ऋजुता ' ; अन्य गुणों के साथ ही, उस समय की ऋजुता के रूप में देखा जाना चाहिए, जब संविदा की गयी थी, या कम से कम उस समय की ऋजुता के रूप में, जब संविदा पूर्ण हो जाती है, न कि पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा और यह तथ्य कि संविदा के समय अनिश्चित घटनाएं बाद में एक पक्षकार या दोनों पक्षकारों की प्रत्याशा के विपरीत रीति में घटित हो सकती हैं, संविदा को अऋजु अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रहलू पर भी विचार किया गया है और उस पर वर्तमान बहस में विचार किया जाना अपेक्षित है।

किन्तु फ्राई का यह कहना है कि (पैरा 393 देखें) संविदा को इस सिद्धान्त के अंतर्गत लाने के लिए, संविदा की विषय-वस्तु के संबंध में अनिश्चितता, संविदा के समय, या तो वस्तुस्थिति या दोनों पक्षकारों की जानकारी की स्थिति से, दोनों पक्षकारों के लिए वास्तविक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, (पैरा 393 देखें) यह सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा, जहां संविदा के निबन्धनों से अनिश्चितता अभिव्यक्त हो सकती है, वह अनिश्चितता पक्षकारों द्वारा उस घटना को, जो वास्तव में घटित हुई, समाविष्ट करने वाली नहीं समझी गयी।

पुनः किसी तृतीय व्यक्ति द्वारा नियत की जाने वाली कीमत पर (फ्राईः पैरा 396 देखें) विक्रय करने की संविदाओं में, न्यायालय, निस्सन्देह, विनिर्दिष्ट पालन के अधिकार के लिए वर्जन के रूप में मूल्यांकनकर्ता के आचरण की अऋजुता पर विचार करेगा।

किसी संविदा की ऋजुता (अर्थात प्रक्रिया संबंधी ऋजुता) के बारे में निर्णय करते समय (फ्राई ने पैरा 399 में कहा है), न्यायालय न केवल स्वयं संविदा के निबन्धनों का अवलोकन करेगा, बल्कि वह मामले से संबंधित सभी परिस्थितियों का भी अवलोकन करेगा, जैसे कि प्रतिवादी का अभित्रास और विबाध्यता, पक्षकारों की मानसिक अक्षमता, यद्यपि पागलपन से कम, उनकी आयु या निर्धनता और वह रीति जिसमें संविदा निष्पादित की गयी थी। ये परिस्थितियां संगत हैं कि पक्षकार सालिसिटर के बिना कार्य कर रहे थे, कि सम्पत्ति प्रतिवर्ती थी या कि कीमत पूर्ण नहीं थी। उसके पश्चात् उन्होंने यह कहा है (पैरा 400 देखें):

" जब कभी ऐसे पक्षकार में जिसके विरूद्ध पालन ईप्सित है, संकट के साक्ष्य हैं, या वह निरक्षर व्यक्ति है, या जब कभी अचानकता या सलाह के अभाव की परिस्थितियां हैं या ऐसी कोई बात है या ऐसी किसी बात का साक्ष्य है जो यह संकेत देती दिखायी देती है कि संविदा के लिए पूर्ण समग्र और बुद्धिमत्तापूर्ण सम्मति नहीं थी, उस समय न्यायालय उसे प्रभावी बनाने में अत्यधिक सावधानी बरतता है। फिर भी, न्यायालय का यह सिद्धांत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सालिसिटर को साथ लिए बिना संविदा नहीं कर सकता, या यह कि दिवाले की परिस्थितियों में, या कारागार में, होने वाला, अपनी सम्पदा को बेचने के लिए निर्योग्य है, और यदि ऐसी परिस्थितियों के अधीन की गई संविदा की न्यायालय सावधानीपूर्वक परीक्षा करता है और उस पर सुस्पष्टता से विचार करता है, तो वह विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित होगी। "

'साशय' अऋजुता या बेईमानी साबित करना आवश्यक नहीं है। इतना पर्याप्त है कि अऋजुता साबित कर दी जाती है (फ्राई का पैरा 401 देखें) ।

तथ्यों के गलत कथन से उद्‌भुत होने वाली अऋजुता दुर्व्यपदेशन का भाग मानी जाती है। (फ्राई का पैरा 402); और एक पक्षकार द्वारा मौन धारण किए जाने या तथ्य के छिपाए जाने से संबंधित मामले कपट का भाग माने जाते हैं, किन्तु फिर भी यह संभव प्रतीत होता है कि ऐसे मामाले हो सकते हैं जहां मौन कपटपूर्ण नहीं है किन्तु फिर भी कठिनाई का ऐसा मामला पैदा करता है जो न्यायालय की सहायता निवारित करता है। न्यायालय ऐसे करार को भी प्रवर्तित नहीं कर सकेंगे, जो तृतीय पक्षकारों के लिए हानिकर हों (पैरा 404 देखें) । इसी प्रकार, न्यायालय किसी करार को प्रवर्तित करने की अपनी शक्ति का साधारणतः प्रयोग नहीं करेंगे,(फ्राई का पैरा 407 देखें), जहां ऐसा करने से न्यास या तीसरे व्यक्ति के साथ पहले से की गई संविदा का भंग परिणत हो जायेगा या कोई व्यक्ति वह करने के लिए बाध्य हो जायेगा जिसे करने के लिए वह विधिपूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, यद्यपि संविदा के समय वह कार्य भले ही विधिपूर्ण रहा हो।

' कठिनाई ' पर (जो भारतीय विनिदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1930 की धारा 20 का भाग है, फ्राई ने अपनी प्रसिद्ध कृति में एक पूरा अध्याय (अध्याय 6) लगाया है। कठिनाई अऋजु निबन्धनों से संबंधित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जबकि सिद्धांत यह है कि 'कठिनाई ' के बारे में निर्णय साधारणतः संविदा के समय किया जाता है, उनका (फ्राई का) यह कहना है (पैरा 425) कि उस कठिनाई पर विचार करने में, जो संविदा के निष्पादान से उद्‌भूत हो सकती है, न्यायालय इस बात पर विचार करेगा क्या वह संविदा के निबन्धनों से स्पष्टतः उद्‌भूत होने वाला परिणाम है

जिससे कि वह संविदा करने वाले पक्षकारों के मन में संविदा के समय अवश्य ही विद्यमान रही होगी या क्या वह किसी सांपार्श्विक बात से उद्भूत होती है, जो अभी तक छिपी और अप्रकट रही, जो इस रूप में उनके मनों में इस प्रकार विद्यमान न रही हो। उनका कहना है कि यह स्पष्ट है कि कठिनाई की एक अति ऊंची मात्रा के पश्चात्कथित वर्ग की अपेक्षा पूर्वकथित वर्ग के मामलों में अवश्य ही उपस्थित रहनी चाहिए, तभी, उसे न्यायालय के विवेकाधिकार के अनुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त संविदाओं के विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में कामन ला के अधीन सामान्य सिद्धांत हैं।

अध्याय-7

प्रक्रिया संबंधी और सारभूत विभाजन की आवश्यकता

अनेक लेखकों ने विद्यमान कानूनों की इस रूप में आलोचना की है कि उनमें 'प्रक्रिया संबंधी अऋजुता' और 'सारभूत अऋजुता ' पर पृथक रूप से विचार करने की चुनौती का सामना नहीं किया गया है और न तो इन शब्दों को परिभाषित किया गया है और न उनमें से प्रत्येक का आकलन करने के लिए पृथक मार्गदर्शक सिद्धांतों का ही उपबंध किया गया है।

अधिकांश कानूनों में संविदा के सारभूत और प्रक्रिया संबंधी अऋजुता के पहलुओं के प्रति एक ही धारा में निर्देश किया गया है, यद्यपि उन पर स्वतंत्र रूप से विचार कथित नहीं किया गया है। अतः न्यायालय इन मुद्दों पर गहराई से ध्यान केन्द्रित करने या स्पष्ट सिद्धांत अधिकथित करने में असमर्थ है। इसीलिए अध्याय 8 में, हमारा अन्य देशों के कानूनों में प्रक्रियात्मक रूप से अऋजु उपबन्धों को और अध्याय 9 में, उन देशों में सारभूत अऋजु उपबंधों को अलग-अलग देने का विचार है। अध्याय 10 में हमारा विचार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1930 के प्रक्रिया संबधी अऋजु उपबंधों को सूचीबद्ध करने का है।

इस अध्याय में हम इन दो संकल्पनाओं पर पृथक कानूनी ध्यान- केन्द्रण के अभाव से संबंधित आलोचना का विवेचन करेंगे।

(क) दि यूके एण्ड स्काटिश ला कमीशंस रिपोर्ट 2004 में , उसके द्वारा तैयार किए गए विधेयक के खण्ड 14 पर अपनी टिप्पणियों पर विचार करते समय, एक स्थान को छोड़कर, इस अंतर के प्रति निर्देश नहीं किया गया है। दि यूके एण्ड स्काटिश ला कमीशंस रिपोर्ट, 2004 से संलग्न बिल की धारा 14(1) (ख) में स्पष्टीकारक टिप्पण, भाग 4 (पैरा 42) में इस पहलू के प्रति निर्देश किया गया है, जो 'ऋजु और युक्तिसंगत कसौटी' के खण्ड 14 और अनुसूची 2 के संबंध में है। पैरा 42 इस प्रकार है -

" 42 खण्ड 14 (1) और (2) के पैरा (ख) में यह अपेक्षा की गयी है कि यह अवधारित करने में कि क्या किसी मामले विशेष में , निबन्धन या नोटिस ऋजु और युक्तिसंगत था, सारभूत ऋजुता (निबन्धन की परिस्थितियों) और प्रक्रिया संबंधी ऋजुता (उस समय विद्यमान परिस्थितियों) दोनों को ही विचार में लिया जाए।

(ख) दि तस्मानिया ला रिफार्म कमीशन ने कठोर और लोकात्मा विरूद्ध संविदाओं पर अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट 71) में यह स्पष्ट किया -

" प्रक्रिया संबंधी लोकात्मा विरूद्धता संव्यवहार की सौदा करने की प्रक्रिया और पक्षकारों के खास आचरण से संबंधित होती है, जबकि सारभूत लोकात्मा विरूद्धता में संविदा की अंतर्वस्तु पर जोर दिया जाता है। "

(ग) दि रिपोर्ट ऑफ दि न्यूजीलैंड ला कमीशन ने , उसके द्वारा प्रारूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रति निर्देश करते समय, यह कहा है कि ' संविदा सारभूत रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से भी ऋजु हो। '

(घ) स्टैंडिग कमेटी ऑफ आफिशियल ऑफ कन्ज्यूमर अफेयर्स विक्टोरिया (आस्ट्रेलिया) द्वारा तैयार किए गए डिस्कशन पेपर आन अनफेयर कान्ट्रैक्ट टर्म्स, 2004 में एक्जीक्यूटिव समरी में यह कहा गया हैः

" न्यायालयों की प्रवृत्ति यह अपेक्षा करने की रही है कि प्रक्रिया संबंधी अऋजुता का कोई पहलू (संविदा होने तक की और संविदा के समय की परिस्थितियों से लगी कोई समस्या) अवश्य ही होनी चाहिए। "

और पेपर में (पैरा 2.1.1 में) यह भी कहा गया है -

" संविदाओं से संबंधित लोकात्मा विरूद्ध आचरण के दो भिन्न (एक दूसरे के विपरीत) पहलू हैंः

प्रथमतः प्रक्रिया संबंधी अऋजुता, जो संविदा होने तक की और संविदा करने के समय की परिस्थितियों से संबंधित है, और दूसरे, सारभूत अऋजुता , जो स्वयं संविदा के निबन्धनों की अऋजुता से संबंधित है , जिनसे अन्याय होता है। "

उक्त पेपर में यह दर्शित किया गया है कि कामन ला का 'प्रक्रिया संबधी अन्याय' से अधिक सम्बन्ध था, जबकि दि (कामनवेल्थ) ट्रेड प्रैक्टिसिज ऐक्ट, 1974 की धारा 51 क ख में सौदा करने की शक्ति , असम्यक प्रभाव या दबाव और उन उपबंधों को (जो प्रक्रिया संबंधी है)समझने की क्षमता के अतिरिक्त, निम्नलिखित सारभूत पहलू गिनाए गए हैंः-

(क) ...क्या उपभोक्ता से उन शर्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी थी, जो प्रदायकर्ता के हितों के संरक्षण के लिए युक्तिसंगत रूप से आवश्यक नहीं थे, और

(ख) वह रकम, जिसके लिए, और वे परिस्थितियां, जिनके अधीन उपभोक्ता किसी अन्य पक्षकार से समतुल्य माल या सेवाएं अर्जित कर सकता था।"

पेपर में दि (कामनवेल्थ) ट्रेड प्रक्टिसिज ऐक्ट, 1974 की धारा 51 क ख के संबंध में पारकिंसन (लाज ऑफ आस्ट्रेलिया) द्वारा की गयी निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रति निर्देश किया गया है :

"यह एक प्रश्न है कि क्या और किस सीमा तक धारा 51 क ख सौदा करने की प्रक्रिया और / या संविदात्मक परिणामों से संबंधित है। साम्यापूर्ण सिद्धांत प्रक्रिया संबंधी लोकात्मा विरुद्धता तक सीमित है, अर्थात, सौदा करने की प्रक्रिया में अऋजुता तक, किन्तु उक्त कानून उस प्रकार सीमित नहीं है और उसके द्वारा, सौदा करने की प्रक्रिया में किसी अऋजुता के अभाव के बावजूद, ऐसी संविदाओं से अनुतोष अनुज्ञात किया जा सकता है, जिनके निबन्धन अऋजु हैं। इस बात पर विधान में कोई नीतिगत विकल्प स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त धारा द्वारा न्यायालय का ध्यान अनेक कारकों के प्रति खींचा गया है, जिनमें से कुछ बातचीत के बारे में हैं और अन्य उनके परिणामों के बारे में। धारा 51 क ख (2)(ख) और (ङ) से यह इंगित होता है कि न्यायालय संविदा में अऋजुता (सारभूत) का ध्यान रख सकेगा .... ।"

उक्त पेपर में यह बताया गया है कि दि (न्यू साउथ वेल्स) कान्ट्रैक्टस रिव्यू ऐक्ट, 1980 की धारा 92 में भी ' प्रक्रिया संबंधी ' विवाद्यकों के प्रति निर्देश किया गया है, जैसे सौदा करने की शक्ति की तात्विक असमानता, संबंधित आर्थिक परिस्थितियां , शैक्षिक पृष्ठभूमि ; पक्षकारों की साक्षरता; कोई अऋजु दबाव; क्या किसी विधिज्ञ या विशेषज्ञ की सलाह ली गयी थी या नहीं। उसके खण्ड (घ)और (छ)में भी सारभूत विवाद्यकों के प्रति निर्देश किया गया है, जैसे -

(घ) क्या संविदा के किन्हीं उपबन्धों द्वारा ऐसी शर्तें अधिरोपित की गयी हैं या नहीं, जिनका अनुपालन करना युक्तिसंगत रूप से कठिन है या जो संविदा के किसी पक्षकार के विधि सम्मत हितों के संरक्षण के लिए युक्तिसंगत रूप से आवश्यक नहीं है।

(छ) जहां संविदा पूर्णतः या भागतः लिखित रूप में है, संविदा का भौतिक स्वरूप और उस भाषा की बोधगम्यता, जिसमें वह अभिव्यक्त की गयी है।

उसमें यह कहा गया है कि कान्ट्रैक्ट रिव्यू ऐक्ट, 1980 (एन.एस.डब्ल्यू.) 'मानक' निबन्धनों तक सीमित नहीं है, यद्यपि इस प्रश्न पर विचार करना न्यायालय का काम है कि क्या किसी निबन्धन पर बातचीत की गयी थी या नहीं । ऊपर निर्दिष्ट उप-धारा 9 (2) (घ) और (छ) का रूख, विशेष रूप से 'सारभूत' की ओर है। अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का अधिकार अपवर्जित या किसी भी रूप में निर्बन्धित नहीं किया जा सकता है।

उक्त पेपर में इस तथ्य के प्रति निर्देश किया गया है कि गोल्डरिंग, ए.एल. (दुग्गन को उद्धृत करते हुए, 'सम रिफलेक्शन्स आन कन्ज्यूमर प्रोडक्शन एण्ड दि ला रिफार्म प्रोसेस', ((1991)17 मान एल आर, 274 पर) ' कि टी पी ए और यूनिफार्म कन्ज्यूमर क्रेडिट कोड में प्रक्रिया संबधी और सारभूत अऋजुता पर अलग-अलग विचार करने में विफलता हुई है। उन्होंने कहा :

" दि क़ान्ट्रक्टस रिव्यू एक्ट और अनुमानतः अन्य विधान (टी पी ए और यूनिफार्म कन्ज्यूमर क्रडिट कोड) की प्रक्रिया संबंधी और सारभूत लोकात्माविरूद्धता के बीच अंतर करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गयी है, क्योंकि उन कारकों की सूची, जिस पर न्यायालय से यह अवधारित करने में ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है कि क्या कोई संविदा अन्यायसंगत है, प्रक्रिया - अभिमुखी और परिणाम- अभिमुखी विचारणाओं का घालमेल है। "

विक्टोरिया के डिस्कशन पेपर के भाग क के अंत में निष्कर्षो में से एक यह है कि "आस्ट्रेलिया में वर्तमान कानूनी शासन-प्रणालियों ने , प्रक्रिया संबंधी और सारभूत अऋजुता के बीच अंतर करने में उनकी विफलता के कारण, व्यवहार में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है (गोल्डरिंग ए.एल. और दुग्गन के अनुसार)। पुनः पेपर के अध्याय 4 (पैरा 4.5)में यह कहा गया है कि " जबकि यह तर्क दिया गया है कि अऋजु संविदा निबन्धनों के प्रक्रिया संबंधी पहलू पर कदाचित पर्याप्त रूप से विचार किया गया है , गोल्डरिंग ए.एल. द्वारा पहले उल्लिखित यह आलोचना कि वर्तमान आस्ट्रेलियाई विधान इस अर्थ में समस्यात्मक है कि उसमें प्रक्रिया संबंधी और सारभूत मुद्दों के बीच अंतर नहीं किया गया है , ठीक मानी गयी है। स्पष्टता करने के लिए, अऋजु संविदा

निबन्धनों के मुद्दे पर विचार करते समय इस स्थिति को सुधारने के लिए अवसर का उपयोग किया जा सकता है। " पैरा के अंत में, यह कहा गया है -

" प्रक्रिया संबंधी और सारभूत मामलों के बीच अंतर के कारण व्यथित व्यक्तियों के लिए बेहतर न्यायालय - परिणाम होगें। "

(ड़) आस्ट्रेलियन कन्ज्यूमर्स एसोसियेशन के साथ संयुक्त रूप से कन्ज्यूमर्स फैडरेशन ऑफ आस्ट्रेलिया के तत्त्वावधान में ' हमें अऋजु संविदा निबन्धनों को क्यों विनियमित करना चाहिए ' विषय पर तैयार किए गए लेख में 'वर्तमान विधियों ने उपभोक्ताओं को निराश किया है ' शीर्षक के अधीन यह कहा गया है कि दुर्भाग्यवश,

" लोकात्माविरूद्ध आचरण विधियों में प्रक्रिया संबंधी अऋजुता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, न कि सारभूत अऋजुता पर। प्रक्रिया संबंधी ऋजुता हस्ताक्षर करने के समय संविदा के पक्षकारों के कार्यों और उन परिस्थितियों को देखती है जिनमें संविदा की गयी थी। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति की संविदा को हस्ताक्षरित करने के समय निर्योग्यता रही हो सकती है, प्रक्रिया संबंधी अऋजुता का अच्छा उदाहरण है। सारभूत अऋजुता स्वयं संविदा में जो लिखा हुआ है उसे देखती है - सौदे की प्रकृति कैसी है .... । किसी चीज के बाजार मूल्य के दस गुने मूल्य का संदाय करना सारभूत अऋजुता का अच्छा उदाहरण है।

चूंकि लोकात्माविरूद्ध विधियों में प्रक्रिया संबंधी बातों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है , अतः उनमें विशेष मामलों की विशेष परिस्थितियों पर विचार किया जाना

चाहिए, यदि उन्हें लागू किया जाना है, और इसलिए उनमें एक समय पर ही मामलों पर विचार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे संविदाओं के मानक प्ररूप में अऋजु पदों / निबन्धनों के व्यवस्थित प्रयोग से लड़ने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं, जिस प्रकार सर्वाधिक अऋजु संविदा निबन्धनों / पदों पर प्रयोग / उपयोग किया जाता है।

चूंकि वे ' किसने क्या कहा ' और ' कब क्या घटित हुआ ' के बारे में ' मौखिक साक्ष्य ' पर निर्भर रहते हैं , अतः प्रक्रिया संबंधी अऋजुता पर आधारित मामलों में न्यायालय में लड़ना कठिन है, जहां साधन सम्पन्न कारोबारी मुकदमा लड़ने वाले उपभोक्ता को शीघ्र ही हरा सकता है। सारभूत अऋजुता पर आधारित मामला अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसका एकमात्र सुसंगत साक्ष्य अऋजु संविदा की प्रति है।

उक्त पेपर में यह कहा गया है कि यू के में , आफिस ऑफ ट्रेडिंग (ओएफटी) को केवल वर्ष 2002-2003 में ही 1000 शिकायतें प्राप्त हुईं और ओ एफ टी की प्रवर्तन कार्यवाही के परिणामस्वरूप 1,447 संविदा / निबन्धन छोड़ दिए गए या हटा दिये गए।

ऊपर निर्दिष्ट आस्ट्रेलियन पेपर में ' क्या किया जाना चाहिए' शीर्षक के अधीन यह कहा गया है कि " अनेक उपभोक्ता संरक्षण विधियां पूर्णतः या मुख्यतः प्रक्रिया संबंधी अऋजुता पर ही ध्यान केन्द्रित करती हैं, और सारभूत अऋजुता के संदर्भ में या तो बहुत अपर्याप्त रूप में लागू होती हैं या बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप अधिकतर बाजार नियमित रूप से ऐसी संविदाएं करते हैं जिनमें अऋजु

संविदा निबन्धन होते हैं, जिनके विरूद्ध उपभोक्ताओं को कोई पर्याप्त या पहुंच योग्य उपचार प्रदत्त नहीं किए गए हैं। "

उक्त पेपर में आगे यह कहा गया है कि " जब कि प्रक्रिया संबंधी अऋजुता पहले से ही विनियमित है, वह विनियमन न तो अऋजु है और न संगत ही । यह बात संहिताबद्ध करने में कि किन मामलों के अऋजु आचरण बनने की संभावना है, और यह स्पष्ट करने में कि उन उपभोक्ताओं को कौन से उपचार उपलब्ध हैं, जो अऋजु या लोकात्माविरूद्ध संव्यवहार करने के लेए उत्प्रेरित किए गए हों, सभी बाजार में भाग लेने वालों को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। हम उपभोक्ता - संविदाओं के अऋजु विनियमन का उनकी समग्रता में समर्थन करते हैं।

(छ) ' प्रक्रिया संबंधी लोकात्माविरूद्धता ' और ' सारभूत लोकात्माविरूद्धता' नामों का स्रोत ' अनकांशियनेबिलिटी एण्ड दि कोड - दि एम्परर्स न्यू क्लाज (1967) 115युनिवर्सिटी पेंसिल्वानिया ला रिव्यू, पृष्ठ 485 ' पर आर्थर एलन लेफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल, द्वारा लिखा गया एक अमरीकी विधि पुनर्विलोकन लेख है। हमने उनके मत के प्रति अध्याय 1 में निर्देश किया है।

प्रोफेसर लेफ यूनिफार्म कामर्शियल कोड की धारा 2.302 की आलोचना द्वारा अपने लंबे लेख का आरंभ करते हैं। वह कहते हैं:-

" यदि इस धारा के पढ़ने से कोई बात स्पष्ट होती है, तो वह यह है कि केवल इस धारा को पढ़ने मात्र से ' लोकात्माविरूद्ध' के अर्थ के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि वह प्रतिकूल है। अधिक विशेष रूप से , कोई व्यक्ति कानून से

यह नहीं बता सकता कि क्या मूल संकल्पना ऐसी बात है जिसे सौदा करने की प्रक्रिया या सौदा या दोनों के किसी समुच्चय पर स्थापित किया जाना है, अर्थात, अपनी शब्दावली में कहें तो, क्या वह प्रक्रिया संबंधी है या सारभूत। तथापि, यह अवधारित करना कि क्या उक्त धारा का लक्ष्य अर्द्ध -कपट या अर्द्ध- विबाध्यता का एक रूप है, या क्या वह अर्द्ध- अवैधता का एक प्रकार है, स्पष्टतः उक्त् - उपबन्ध की पहुंच और परिधि की कुंजी है।

इस लेख की एक मुख्य प्रतिपादना विषय यह है कि प्रारूपकार लोकात्माविरूद्धता संकल्पना के आवश्यक प्रक्रिया - सारभूत के दो भाग के महत्व को समझने में पूर्णतः विफल रहा और यह कि ऐसी विफलता धारा 2-302 की अंतिम नियम विरूद्ध अबोधगम्यता और उससे संलग्न टीका की विसंगति के प्राथमिक कारणों में से एक है।"

उन्होंने यह मत व्यक्त किया - (पृष्ठ 539)

" संक्षेप में, दो पृथक सामाजिक नीतियां हैं, जो साम्या लोकात्मा विरूद्धता सिद्धांत में सन्निहित हैं। प्रथम नीति यह है कि सौदेबाजी की उद्दंडता, जब एक बार वह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, उसके व्यवहर्ता को शून्य की ही उपलब्धि कराएगी। द्वितीय नीति सौदेबाजी के आचरण के विरूद्ध नहीं है (सिवाय) वहां तक जहां तक निश्चित परिणाम प्रायः निश्चित आचरण के सशक्त साक्ष्य हैं) किन्तु परिणामों के विरूद्ध है और उसमें यह सिद्धांत सन्निविष्ट है (जो लाइसिओ एनोर्मिस कानूनों में भी मौजूद है)कि गम्भीर कठिनाई का थोपा जाना विशेष न्यायौचित्य की मांग करता है।

(ज) उक्त दोनों संकल्पनाओं के बीच अंतर को प्रिवी कौंसिल में लार्ड ब्राइटमैन द्वारा हार्ट बनाम ओ कानर 1985 ए.सी. 1000, पृ0 1017-18 (1985(2)आल इंग्लैंड रिपोर्ट्स 880, पृ0 887) में उजागर किया गया। उन्होंने कहा -

" यदि किसी संविदा को निंदात्मक रूप में ' अऋजु संविदा ' के रूप में वर्णित किया जाता है, तो वह दो रीतियों में से एक में अऋजु हो सकती है। वह उस अऋजु रीति के कारण अऋजु हो सकती है जिसमें वह अस्तित्व में लायी गयी थी; असम्यक प्रभाव द्वारा उत्प्रेरित संविदा इस अर्थ में अऋजु होती है। उसे 'प्रक्रिया संबंधी अऋजुता' कहना सुविधाजनक होगा जो, कुछ अंतर्विष्ट बातों में, (सही या गलत रूप में) इस तथ्य के कारण 'अऋजु ' वर्णित की जा सकती है कि संविदा के निबन्धन दूसरे पक्षकार की तुलना में एक पक्षकार के लिए अधिक अनुकूल है। इस ' अऋजुता' को प्रक्रिया संबंधी अऋजुता से प्रभेदित करने के लिए उसे ' संविदात्मक असंतुलन' कहना सुविधाजनक होगा।

दोनों संकल्पनाएं परस्पर अतिव्यापी हो सकती हैं। संविदात्मक असंतुलन इतना अधिक हो सकता है, जो प्रक्रिया संबंधी अऋजुता की उपधारणा को जन्म दे सकता है, जैसे कि असम्यक प्रभाव या तंग करने का कोई अन्य रूप । साम्या किसी पक्षकार को ऐसी संविदा से उन्मुक्त कर देगी जिसे तंग किए जाने के परिणामस्वरूप उसे करने के लिए उसे उत्प्रेरित किया गया है। साम्या किसी पक्षकार को किसी संविदा से केवल इस आधार पर उन्मुक्त नहीं करेगी कि लोकात्माविरूद्ध संव्यवहार की कोटि में न आने वाला संविदात्मक असंतुलन है। अऋजुता के तीन रूपों में से, जिनका आर्चर बनाम कटलर (1980) (1) एनजैडएलआर 386 में न्यायाधीश द्वारा अवलम्ब लिया गया (यह मानते हुए

कि अऋजुता अस्तित्व में थी), प्रथम संविदात्मक असंतुलन था और द्वितीय तथा तृतीय रूप प्रक्रिया – संबंधी अऋजुता के थे।

यह ऐसा इसलिए है कि साम्या ' संविदात्मक असंतुलन ' अर्थात सारभूत अऋजुता के मामले में अनुतोष प्रदान न करे इसीलिए विधान मण्डल न केवल प्रक्रिया-संबंधी अऋजुता के लिए बल्कि सारभूत अऋजुता के लिए भी उपचार प्रदान करने के लिए आगे आए हैं ।

(झ) ' प्रक्रिया संबंधी ' और ' सारभूत ' अऋजुता के बीच उन्तर वेस्ट बनाम एजीसी (एडवान्सेस से)लिमिटेड (1986)(5)एन-एस डब्ल्यू एल आर 610 में मैक ह्यूज जे ए द्वारा न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी स्पष्ट किया गया ।

सारांश

ऊपर व्यक्त किए गए मतों को देखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि किसी विधान को और अधिक प्रभावी और वास्तविक होना है, तो 'प्रक्रिया संबंधी ' और 'सारभूत ' अऋजुता के संबंध में अलग-अलग उपबंध करना आवश्यक है।

हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कुछ स्थानों में यह माना गया है इन संकल्पनाओं को किसी कानून में अलग अलग रखना कठिन है किन्तु हम इससे सहमत नहीं है। हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई है। वास्तव में, जैसा कि अनेक लेखकों द्वारा दर्शित किया गया है, ध्यान केवल 'प्रक्रिया संबंधी ' अऋजुता तक ही सीमित नहीं रहना

चाहिए और हमें वहां मात्र यह कहने के बजाय कि पक्षकारों ने पूरी खुली आंखों से पूरी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, ' सारभूत अऋजुता ' पर भी विचार करने के लिए आगे आना चाहिए कि यदि ऐसी संविदाओं में ऐसा कोई निबन्धन था, जो स्वतः अऋजु था, तो पक्षकार को स्वयं को ही दोष देना चाहिए। ऐसे समय जब सारभूत अऋजुता के सिद्धांत प्रभावी रूप से विकसित नहीं हुए थे, संविदाओं के निर्वचन की यही पद्धति थी। आज, हम प्रचलन में यह पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की संविदाओं में, अर्थात, ऐसी संविदाएं या निबन्धन, जो स्वतः अऋजु हैं, बड़ी संख्या में सारभूत रूप से अऋजु निबन्धन हैं। अतः विधियों में इस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए कि वे ऐसी सारभूत अऋजुता को परिशोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत बनें ।

....